शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–मा / मा.द. / अंग्रेजी माध्यम / संस्थापन / 66174 / 2022–23 / दिनांकः 11.06.2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक **(समस्त)**

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा **(समस्त)**

प्रधानाचार्य,
महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय **(समस्त)**

प्रधानाचार्य,
राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय **(समस्त)**

विषय : **"विद्या सम्बल योजना"** के तहत गैस्ट फेकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग : 1. शासन का पत्रांकः प.4(15)शिक्षा–1 / अं.मा.वि.सं. / 2022 जयपुर, दिनांकः 07.06.2022
2. वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर, दिनांकः 30.03.2021

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांकः 07.06.2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में **"विद्या सम्बल योजना"** के अनुसार निजी अभ्यर्थियों एवं सेवा निवृत्त शिक्षकों को गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं:–

1. **"विद्या सम्बल योजना"** के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गैस्ट फेकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा, जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई हैं तथा उक्त प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके हैं।
2. **"विद्या सम्बल योजना"** के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवा निवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं वे ही गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे।
3. **पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता :–**
   i. इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो।
   ii. उपर्युक्त वर्णित सेवा नियमों में पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की गई हो। अर्थात–

अ. निजी अभ्यर्थियों हेतु :–

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	प्रशैक्षिक अर्हता
01	व्याख्याता (जीव विज्ञान)	प्राणी विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / जीव–प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परन्तु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो	B.Ed
02	व्याख्याता (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित)	सुसंगत विषय में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य परीक्षा	B.Ed
03	i. वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, तृतीय भाषा)	वैकल्पिक विषय के रूप में सम्बन्धित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा	B.Ed
	ii. वरिष्ठ अध्यापक(विज्ञान)	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम से कम दो विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा	B.Ed

	iii. वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान)	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम से कम दो विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा	B.Ed
04	अध्यापक लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी / गणित)	न्यूनतम 50% अंको सहित गणित / अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक	B.Ed/D.Ele.Ed + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल –द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैद्यता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।
05	अध्यापक लेवल–प्रथम	50% अंको सहित उमावि / समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण	D.Ele.Ed + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल–प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैद्यता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।
06	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सैकण्डरी अथवा समतुल्य परीक्षा	C.P.Ed. or D.P.Ed. or B.P.Ed.
07	पुस्तकालयाध्यक्ष	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सैकण्डरी अथवा समतुल्य परीक्षा	पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा
08	प्रयोगशाला सहायक	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव– प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम से कम तीन विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा	–

ब. सेवा निवृत्त **अभ्यर्थियों** हेतु:–

a. सेवा निवृत्त शिक्षक सेवा निवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था, केवल उस पद हेतु गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो।

नोटः–अध्यापक लेवल–प्रथम व लेवल–द्वितीय के लिए सेवा निवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।

b. सेवा निवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

4. विद्या सम्बल योजना में गैस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रिया:–

i. विभाग में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गॉधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से पदस्थापन उपरान्त स्वीकृत पदों में से रिक्त रहे पदों पर विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

ii. इन गैस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 02 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा महात्मा गॉधी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्तर पर की जाएगी। यदि दो वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित CBEO ब्लॉक के अन्य MGGES विद्यालयों में से दो वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति करेंगे।

iii. संस्था–प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक प्लेट फार्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएगें। उक्त प्रकाशन के लिए कलैण्डर निदेशालय से जारी होगा।

iv. किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार नियुक्ति दी जाएगी।

v. सेवा निवृत्त अध्यापक यदि B.Ed उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल–द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं यदि BSTC/D.Ele.Ed उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल–प्रथम के लिए पात्र होंगे।

vi. वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकभार क्रमशः 75% व 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।

vii. समान अंकभार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यार्थी से ऊपर रखा जाएगा।

viii. आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का कलैण्डर निदेशालय से जारी किया जाएगा।

ix. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिये गये प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किये गये समय पर वे कार्य करने आएंगे।

x. निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहमति नहीं दिये जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यार्थी को गैस्ट फैकल्टी में नियुक्ति दी जाएगी।

xi. गैस्ट फैकल्टी पर सत्रान्त अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक पूर्णतः अस्थाई तौर पर रखा जाएगा।

xii. गैस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 में वर्णित है।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की शर्तें:–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	अध्यापक, लेवल–प्रथम, लेवल–द्वितीय	1 to 8	300/-	21000/-
02	वरिष्ठ अध्यापक	9 to 10	350/-	25000/-
03	प्राध्यापक	11 to 12	400/-	30000/-
04	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	-	300/-	21000/-
05	प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

6. गैस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था–प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

"विद्या सम्बल योजना" के तहत गैस्ट फेकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन एवं आदेश जारी करने सम्बन्धी कलैण्डर पृथक से निदेशालय स्तर से जारी किया जाएगा।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही का नियमित व प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा।

(गौरव **अग्रवाल)**
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा–मा / मा.द. / अंगेजी माध्यम / संस्थापन / 66174 / 2022–23 / **दिनांक** : 11.6.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि), बीकानेर।
6. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त)।
9. उप निदेशक (योजना), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक),
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्ट फेकलटी / 12226 / 2021/79-83 दिनांक – 17/02/2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

विषय :– "विद्या संबल योजना" लागू किये जाने सम्बन्धी बजट घोषणा संख्या 54.0.54 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक प.17(23)शिक्षा–2 / 2021 जयपुर दिनांक 30 / 06 / 2021 एवं प.17(50)शिक्षा–2 / 2021 दिनांक 24 / 01 / 22

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 में की गई बजट घोषणा संख्या 54.0.05 "राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जावेगी की क्रियान्विति हेतु वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30 / 03 / 2021 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

विभाग में शिक्षण कार्यो में शिक्षकों / प्रशिक्षकों / प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, अतः विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए संस्थानों / महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य को सुचारू बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, योजना के प्रभावी कियान्वयन के लिए जिला मुख्यालय पर सम्बन्धित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को एतद् द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते है:–

1. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी।
2. सम्बन्धित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले **सेवानिवृत कार्मिक** को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3 गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें:–

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान

पद(अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड–II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड–I	11 से 12	400 / –	30000 / –
शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक	–	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	–	300 / –	21000 / –

4. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
5. ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ संस्थाओं / महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार एवं विद्यालयवार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकंलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगें।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गैस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना को समेकित कर संवर्ग वार रिक्त पदों के अनुरूप सेवा निवृत कार्मिकों को संविदा पर नितांत अस्थाई तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक नियुक्ति हेतु

51/

सूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित करेगें एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को संवर्गवार संमेकित कर व्याख्याता एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र कार्मिकों की संविदा नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को, वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को नियुक्ति हेतु प्रेषित करेंगे।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
8. संस्था प्रधान द्वारा संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। गैस्ट फैकल्टी के रूप में रखे जाने वाले कार्मिकों को भुगतान सम्बन्धित विद्यालय में 01–संवेतन उपमद में उपलब्ध रिक्त पद के बजट प्रावधान से किया जावेगा।
9. आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें।
10. एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति की वरियता आवेदक द्वारा प्रस्तुत गत 2 वर्षो के परीक्षा परीणाम एवं सेवा निवृत न्यूनतम आयु के प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
3. समस्त ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी
4. सम्बन्धित पीईईआ / युसीईईआ

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

सूचना प्रारूप

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी हेतु सेवा निवृत राजकीय कार्मिक के आवेदन के कम में

नितांत अस्थाई तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति हेतु सेवा निवृत राजकीय कार्मिकों से आवेदन पत्र वांछित रिक्त पदों हेतु आमंत्रित किये जा रहे है:–

1. इच्छुक आवेदक रिक्त पदों अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पृथक–पृथक (पदवार/विद्यालयवार) आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. आवेदन हेतु सत्रांत समाप्ति की तिथि की गणना अनुसार 65 वर्ष से कम उम्र के सेवा निवृत कार्मिक ही पात्र होंगे।
3. आवेदन हेतु संवर्गवार/विद्यालयवार जिले में रिक्त पदों का विवरण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा।
4. महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आवेदन हेतु महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के निर्धारित मापदण्ड की योग्यता वाले प्रार्थी ही आवेदन कर सकेगें।
5. आवेदन हेतु अन्तिम तिथि सूचना प्रकाशित होने के 05 दिवस तक रहेगी।
6. आवेदन सम्बन्धित विद्यालय में ही प्रस्तुत किया जावेगा।
7. अन्तिम तिथि पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. आवेदक द्वारा जिस पद हेतु संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने है:–
   (अ) निर्धारित आवेदन पत्र
   (ब) निर्धारित शपथ पत्र
   (स) सेवानिवृति के पूर्व के दो वर्षो के परीक्षा परीणाम की प्रमाणित प्रति
   (द) आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी.....

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदित विद्यालय का नामः–

आवेदित पद का नामः–

व्यक्तिगत जानकारी

PHOTO

1. नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जन्मतिथि .....
5. सेवा निवृति तिथि .....
6. सेवा निवृति के समय धारित पद .....
7. पत्राचार हेतु स्थाई पता .....
8. मोबाईन नम्बर
9. ईमेल
10. गत 02 वर्षो का परीक्षा परीणाम

सत्र		
परीक्षा परीणाम प्रतिशत में		

11 योग्यता का विवरण

संलग्नः–

मै ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हुं की उपरोक्त वर्णित सूचना सही है। अगर कोई सूचना गलत पाई जावे तो मेरी संविदा नियुक्ति निरस्त की जाने पर किसी तरह का न्यायालय वाद प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। मेरी सेवाऐं संविदा/गैस्ट फैकल्टी आवश्यकता अनुसार प्रति घंटा मानदेय पर होगी। मै मेरी उक्त संविदा नियुक्ति को नियमित करने हेतु न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं करूगां/करूंगी।

हस्ताक्षर

नोटः– 1. पृथक–पृथक विद्यालय में एक ही संवर्ग के रिक्त पद हेतु पृथक–पृथक सम्बन्धित विद्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

2. एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति 2 वर्षो के गत परीक्षा परीणाम एवं सेवा निवृति तिथि की प्राथमिकता से की जावेगी।

3. आवेदन हेतु 65 वर्ष से कम उम्र के सेवा निवृत कार्मिक ही पात्र होगें।

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हेतु निर्धारित शिड्यूल

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित दिनांक
1.	गैस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का आंकलन	18 फरवरी, 2022 तक
2.	गैस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशन	21 फरवरी, 2022 तक
3.	रिक्त पदों का विवरण चस्पा किया जाना	21 फरवरी, 2022 तक
4.	आवेदन प्राप्त करना	26 फरवरी, 2022 तक
5.	प्राप्त आवेदनों को संकलित कर नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित किया जाना	02 मार्च, 2022 तक
6.	नियुक्ति अधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अनुमोदन/ संविदा नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया जाना	07 मार्च, 2022 तक

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Scanned by TapScanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड–II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड–I	11 से 12	400 / –	30000 / –
अनुदेशक	–	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	–	300 / –	21000 / –

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800 / –	45000 / –
सह आचार्य	1000 / –	52000 / –
आचार्य	1200 / –	60000 / –

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned by TapScanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Scanned by TapScanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... .....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.....विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... .....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.....को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned by TapScanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Scanned by TapScanner

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/12226/गैस्ट फैकल्टी/2021/127-130 दिनांकः 18/07/2022

संयुक्त शासन सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– "विद्या संबल योजना" के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– वित्त (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांकः प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांकः 30.03.2021 व राज्य सरकार का पत्रांकः प.17(50) शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक 04.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांकः 04.07.2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में रा.उ.मा.वि./रा.बा.उ.मा.वि. (समस्त) में **विद्या सम्बल योजना** के अन्तर्गत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

01. विद्या सम्बल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवानिवृत शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते है, वे ही गैस्ट फेकल्टी के रूप मे लगाये जाने हेतु पात्र होंगे।
02. **पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता :–**
इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो।

निजी अभ्यर्थियों हेतु :–

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	प्रशैक्षिक अर्हता
1	व्याख्याता (जीव विज्ञान)	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो।	बी.एड.
2	व्याख्याता (भौतिक/रसायन/गणित)	सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, साथ ही स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का भी अध्ययन किया हो।	बी.एड.

Scanned with Oken Scanner

3	वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, तृतीय भाषा)	वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा।	बी.एड.
4	वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम से कम दो विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर स्नातक या समतुल्य परीक्षा।	बी.एड.
5	वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान)	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम से कम दो विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर हिन्दी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा।	बी.एड.
6	अध्यापक लेवल–2 (अंग्रेजी / गणित)	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित गणित / अंग्रेजी (सम्बन्धित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक	बी.एड. व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल–II परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।
7	अध्यापक लेवल–I	50 प्रतिशत अंकों सहित उमावि / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	डी.एल.एड. व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल–I परीक्षा उत्तीर्ण, जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो।
8	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्ड्री अथवा समतुल्य परीक्षा।	सी.पी.एड. या डी.पी.एड. या बी.पी.एड.।
9	प्रयोगशाला सहायक	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम से कम तीन विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा।	—

Scanned with Oken Scanner

सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु :–

1. सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था, केवल उस पद हेतु गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित की हो ।

   नोट : अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2 के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु सीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी ।

2. सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे ।

3. **विद्या सम्बल योजना में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थियों के गैस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रिया:–**

1. इन गैस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन–प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त दो वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जायेगी। यदि दो वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में सम्बन्धित सीबीईओं ब्लॉक के अन्य विद्यालय में से दो वरिष्ठ सदस्यों का मनोनयन चयन कमेटी हेतु करेंगे।
2. संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड व सार्वजनिक प्लेटफार्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किये जायेगें। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेण्डर निदेशालय से जारी होगा।
3. किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार चयन किया जाएगा।
4. सेवानिवृत्त अध्यापक यदि B.ED. उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल–II के लिए सबन्धित विषय अनुसार एवं यदि BSTC/D.ELE.ED. उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल–1 के लिये पात्र होंगे।
5. वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकभार क्रमशः 75 प्रतिशत व 25 प्रतिशत लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
6. समान अंकभार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा।
7. आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन–सूची जारी करने का कैलेण्डर निदेशालय द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्यग्रहण करने आएंगे।
9. निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गैस्ट फैकल्टी हेतु चयन किया जायेगा।
10. गैस्ट फैकल्टी पर सत्रान्त तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक पूर्णतः **अस्थाई तौर पर रखा** जाएगा।
11. गैस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जाएगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांकः 30.03.2021 में वर्णित है।

Scanned with Oken Scanner

4. **गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरः–**

पद(अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड–II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड–I	11 से 12	400 / –	30000 / –
शारीरिक शिक्षा अध्यापक	–	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	–	300 / –	21000 / –

- गैस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था–प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही का नियमित एवं प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक द्वारा किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों / निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, ज़यपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, ज़यपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned with Oken Scanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... .....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.....विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... .....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.....को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/149 दिनांकः 17.10.2022

1.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक

2. समस्त संस्था प्रधान राजकीय उ.मा.वि/महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय/ राजकीय अंग्रेजी माध्यम उ.मा. विद्यालय

विषयः– "विद्या सम्बल योजना" के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक– प 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक 30.03.2021 के क्रम में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों एवं महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों/राजकीय अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के तहत स्पष्ट रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैः–

(1). पद एवं अर्हताएंः–

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
I	व्याख्याता (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
II	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
III	अध्यापक लेवल–2 (विभिन्न विषय)	राजस्थान पंचायत राज नियम–1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
IV	अध्यापक लेवल–1	राजस्थान पंचायत राज नियम–1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार
V	प्रयोगशाला सहायक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
VI	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।

3. सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु, अध्यापक लेवल–1 व अध्यापक लेवल–2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
4. सेवा निवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां :–

I. विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत अल्पभाषा उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के रिक्त पदों को भी सम्मिलित किया जाना है।

II. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदों को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3). आवेदन पत्र आमंत्रित करना:–

संबंधित प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय तथा प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए संबंधित पीईईओ विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने वाले स्पष्ट रिक्त पदों का चिन्हिकरण कर पदवार/विषयवार प्रकाशन विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, स्थानीय सार्वजनिक स्थलों, जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट पर (जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक कार्यालय के माध्यम से) किया जाकर निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप संलग्न) पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

(4). आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण:–

आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाए। इस हेतु विद्यालय स्तर पर एक एक तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा–

1. प्राचार्य/पीईईओ — अध्यक्ष
   (यदि पद रिक्त है तो कार्यवाहक प्राचार्य/पीईईओ)
2. विद्यालय के दो वरिष्ठतम व्याख्याता — सदस्य
   (यदि व्याख्याता कार्यरत नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक)

नोटः– वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के एक या दो, यथा आवश्यकता वरिष्ठ व्याख्याता को इस कार्य हेतु सदस्य नियुक्त करेंगे।

(5) समिति के दायित्वः–

I. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पदवार व विषयवार आवेदकों की सूची तैयार कर विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।

II. आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची पदवार/विषयवार तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना।

III. पदवार व विषयवार पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना।

IV. वरीयता सूची में पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारण उनके आवेदित पद के लिए सम्बन्धित सेवा नियमों में वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 75 प्रतिशत व वांछित न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 25 प्रतिशत अंक भारों के योग के आधार पर किया जाएगा।

V. प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को कम आयु के अभ्यर्थी से वरीयता क्रम ऊपर रखा जाएगा।

VI. पदवार व विषयवार तैयार की गई वरीयता सूचियों में से सर्वोच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों के नाम विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु उक्त समिति अपनी अनुशंषा प्राचार्य/PEEO को करेगी।

(6) <u>प्राचार्य/पीईईओ के कार्यः–</u>

I. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिये विद्यालय के प्राचार्य और प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए संबंधित पीईईओ द्वारा रिक्तियों की पहचान व प्रकाशन करना।

II. चयन समिति की अनुशंषा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेंजो की जांच कर उन्हें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाए जाने एवं सात दिवस में कार्य प्रारंभ करने के लिए पत्र जारी करना।

III. गेस्ट फैकल्टी के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य/PEEO को शपथ–पत्र (मूल) प्रस्तुत करेंगे।

IV. गेस्ट फैकल्टी के कार्यो की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर मानदेय भुगतान की कार्यवाही करना।

V. रिक्त पद भर जाने पर उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त कर देना।

VI. यदि कार्य असंतोषजनक हो तो उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त कर देना।

VII. विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के सेवा–निवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी पात्र होंगे।

(7) <u>टाईम टेबलः–</u>

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 01.11.2022 तक	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2	दिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 (विद्यालय समय में)	आवेदन की तिथि
3	दिनांक 05.11.2022	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल)
4	दिनांक 07.11.2022	पात्रता की जाँच करना
		वरीयता सूची बनाना (अस्थाई) एवं जारी करना
5	दिनांक 09.11.2022	आपत्तियाँ मांगना
6	दिनांक 10.11.2022	अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)
7	दिनांक 11.11.2022	मूल दस्तावेजों की जाँच करना
8	दिनांक 12.11.2022	आदेश जारी करना
9	दिनांक 19.11.2022	कार्यग्रहण की अंतिम तिथि

(8) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	अध्यापक, लेवल–प्रथम, लेवल–द्वितीय	1 से 8	300 रू	21000 रू
02	वरिष्ठ अध्यापक	9 से 10	350 रू	25000 रू
03	प्राध्यापक	11 से 12	400 रू	30000 रू
04	प्रयोगशाला सहायक	.	300 रू	21000 रू
05	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	–	300 रू.	21000 रू.

(9) अन्य –

I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने आऐंगे।

II. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने/पूर्व में आमंत्रित किए गए गेस्ट फैकल्टी को हटाए जाने से रिक्त हुए पद पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

III. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

V. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

VI. गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएगें, इन्हे कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।

VII. यह दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं
पंचायती राज (प्रांरभिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रा./मा.), राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सहायक निदेशक, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
13. सहायक निदेशक, संस्थापन (एफ/सी) अनुभाग कार्यालय हाजा ।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य.....
16. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु संस्था–प्रधान द्वारा दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप

श्री / श्रीमति / सुश्री.....
पताः–.....

विषयः– विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः प 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 के अनुसार "विद्या सम्बल योजना" के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप श्री / श्रीमती / सुश्री.....पुत्र / पुत्री श्री.....को विद्यालय ..... में पद ..... विषय ..... के रिक्त पद पर पूर्णतः अस्थाई रूप से लगाया जाता है।

गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको निम्नांकित शर्तों के अधीन लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक.....को .....बजे विद्यालय में उपस्थित होकर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करें :–

1. आप अव्वल समय पर अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ व संलग्न प्रारूप में मूल शपथ पत्र संलग्न कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
2. दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज साथ लेकर आऐं।
3. निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्य हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह प्रस्ताव आपकी अस्वीकृति मानते हुए समाप्त कर दिया जाएगा।
4. गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको प्रतिघंटा..... मानदेय देय होगा, जो अधिकतम..... मासिक से अधिक देय नहीं होगा।
5. रिक्त पद पर नियमित प्रक्रिया से शिक्षक की नियुक्ति हो जाने अथवा सत्रांत तक, जो भी पहले हो, के साथ ही उसे निरस्त समझा जाएगा।

प्राचार्य

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/ दिनांकः 04/10/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

समस्त संस्था प्रधान राजकीय उ.मा.वि/महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय/ राजकीय अंग्रेजी माध्यम उ.मा. विद्यालय

विषयः– "विद्या सम्बल योजना" के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रकिया की समय सारणी मे संशोधन बाबत्।

प्रसगः– पत्र क्रमांक शिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/144 दिनांक 17.10.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक दिशा निर्देशों में अंकित "विद्या सम्बल योजना" के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रकिया की समय सारणी मे आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 07.11.2022 तक बढ़ाते हुए निम्न अनुसार आंशिक सशोधन किया जाता है:–

टाईम **टेबलः**–

क्र.स.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 02.11.2022 से 07.11.2022 (विद्यालय समय पर)	आवेदन की तिथि
2	दिनांक 09.11.2022	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल)
3	दिनांक 11.11.2022	पात्रता की जाँच करना
		अस्थाई वरीयता सूची प्रकाशित करना
4	दिनांक 12.11.2022 व 14.11.2022	आपत्तियाँ प्राप्त करना
5	दिनांक 16.11.2022	अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित करना
6	दिनांक 17.11.2022 व 18.11.2022	मूल दस्तावेजों की जाँच करना
7	दिनांक 19.11.2022	आदेश जारी करना
8	दिनांक 26.11.2022	कार्यग्रहण की अंतिम तिथि

शेष शर्ते पूर्व जारी विज्ञप्ति दिनांक 17.10.2022 के अनुसार रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रा./मा.), राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. स्टाफ आफिसर, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग,राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. सहायक निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. सहायक निदेशक, संस्थापन (एफ/सी) अनुभाग कार्यालय हाजा।
13. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य.....
14. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

*प्रश्न:-विद्या संबल योजना मे4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स अर्थात बीएससी बीएड अथवा बीए बीएड करने वालों की प्रतिशत किस प्रकार गणना करनी है"

उत्तर- 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की अंक तालिका में बीएससी/बीए के प्राप्तांक तथा पूर्णांक तथा बी एड के प्राप्तांक तथा पूर्णांक प्रथक प्रथक दिखाए हुए हैं। अतः हम अन्य अंकतालिका ओं के समान बीएससी तथा b.ed की प्रतिशत निकालकर अन्य लोगों के समान 75% तथा 25% अंक भाग जोड़ लेंगे

हर यूनिवर्सिटी की अलग-अलग अंकन पद्धति होने से कई में अंक समग्र दिखाए गए हैं उसके लिए यह सूत्र लागू नहीं होगा

शैक्षिक समाचार राजस्थान

*विद्या संबल योजना के तहत लगाए गए सेवानिवृत्त कार्मिकों का वेतन किस प्रकार बनेगा। इसकी **Process** क्या रहेगी।पूरी प्रक्रिया

अगर Re-Employeed Employee किसी अन्य Office से Retired है तो उसकी ID नियुक्त कार्यालय में Transfer करवाएं।

2▪ID को उस Group Head एवं रिक्त पद के अनुसार Accept करें जिस Head से वेतन बनना है।

3▪Pay Commission में Fixed करें।

4▪उसके बाद उस कार्मिक की Status को Update कर *Service Category में Retired/VRS से Re-employed* करें।

Service Sub Category एवं Status में NA, Temporary/Permanent में से Temporary करें।

5▪Employee pay details को अपडेट करें। DA ,HRA एवं अन्य कोई भत्ता Add हो तो उसे डिलीट करें। इसके साथ ही सभी कटौतियां भी डिलीट करें तथा नियुक्ति आदेश के अनुसार बेसिक fixed Amount ऐड करें।

Note-ऐसे कार्मिकों के वेतन बिल Regular कार्मिकों के साथ न बनाकर अलग से बनाएं एवं हर माह उनकी उपस्थिति DDO से प्रमाणित करवाकर Upload करें।

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

   अथवा

Scanned by TapScanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300 / –	21000 / –
ग्रेड–II	9 से 10	350 / –	25000 / –
ग्रेड–I	11 से 12	400 / –	30000 / –
अनुदेशक	–	300 / –	21000 / –
प्रयोगशाला सहायक	–	300 / –	21000 / –

शैक्षिक समाचार राजस्थान

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800 / –	45000 / –
सह आचार्य	1000 / –	52000 / –
आचार्य	1200 / –	60000 / –

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned by TapScanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Scanned by TapScanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... .....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं / दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.....विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... .....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक.....को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned by TapScanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Scanned by TapScanner

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022-23/ दिनांकः 05/11/22

समस्त
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।

समस्त
प्रधानाचार्य, राउमावि/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/पीईईओ/ यूसीईईओ।

विषयः–"विद्या सम्बल" योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–दिशा–निर्देश पत्रांकः शिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/149 दिनांकः 17.10.2022 एवं समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांकः 144 दिनांकः 17.10.2022

प्रासंगिक विज्ञप्ति एवं पत्र द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों के स्पष्ट रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल"** योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाये जाने बावत दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। उक्तानुसार गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि IFMS में पद स्वीकृत हैं तथा उक्त पद से किसी भी शिक्षक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/ **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
5. स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक), कार्यालय हाजा।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. सहायक निदेशक, संस्थापन (एफ/सी) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/ दिनांकः 04/10/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

समस्त संस्था प्रधान राजकीय उ.मा.वि/महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय/ राजकीय अंग्रेजी माध्यम उ.मा. विद्यालय

विषयः– "विद्या सम्बल योजना" के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रकिया की समय सारणी मे संशोधन बाबत्।

प्रसगः– पत्र क्रमांक शिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन/66174/2022–23/144 दिनांक 17.10.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक दिशा निर्देशों में अंकित "विद्या सम्बल योजना" के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाए जाने की प्रकिया की समय सारणी मे आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 07.11.2022 तक बढ़ाते हुए निम्न अनुसार आंशिक सशोधन किया जाता है:–

टाईम **टेबलः**–

क्र.स.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 02.11.2022 से 07.11.2022 (विद्यालय समय पर)	आवेदन की तिथि
2	दिनांक 09.11.2022	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल)
3	दिनांक 11.11.2022	पात्रता की जाँच करना
		अस्थाई वरीयता सूची प्रकाशित करना
4	दिनांक 12.11.2022 व 14.11.2022	आपत्तियाँ प्राप्त करना
5	दिनांक 16.11.2022	अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित करना
6	दिनांक 17.11.2022 व 18.11.2022	मूल दस्तावेजों की जाँच करना
7	दिनांक 19.11.2022	आदेश जारी करना
8	दिनांक 26.11.2022	कार्यग्रहण की अंतिम तिथि

शेष शर्ते पूर्व जारी विज्ञप्ति दिनांक 17.10.2022 के अनुसार रहेगी।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रा./मा.), राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. स्टाफ आफिसर, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग,राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. सहायक निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. सहायक निदेशक, संस्थापन (एफ/सी) अनुभाग कार्यालय हाजा।
13. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्रधानाचार्य.....
14. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ.1(3)डीओपी/ए–II/2021 जयपुर, दिनांक : 26/7/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग 1
साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2.परिभाषाएं.–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से, राज्य सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में, सरकार और ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें, अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकार के अनुमोदन से निदेशक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों को करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये ;

6ms

(ख) **"बोर्ड"** से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) **"आयोग"** से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) **"समिति"** से नियम 31 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"विभाग"** से माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभिप्रेत है ;

(च) **"निदेशक"** से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है ;

(छ) **"सीधी भर्ती"** से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(ज) **"सरकार"** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(झ) **"सेवा का सदस्य"** से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) **"विद्यालय"** से प्रारंभिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चालू समस्त विद्यालय अभिप्रेत हैं;

(ठ) **"सेवा"** से राजस्थान शिक्षा सेवा या, यथास्थिति, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा, अभिप्रेत है ;

(ड) **"सेवा" या "अनुभव"** जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कोई निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो।

टिप्पण : सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन

6rh

"ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में भी गिनी जायेगी;

(ढ) **"राज्य"** से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;

(ण) **"अधिष्ठायी नियुक्ति"** से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन में अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, या तो नियम 5 के अनुसार सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी, भर्ती सम्मिलित होगी; और

(प) **"वर्ष"** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2
संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.–(1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

6m

(3) सेवा में पृथक्–पृथक् संवर्ग होंगे जो अनुसूची–I और अनुसूची–II के समूहों में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु सरकार, –

(क) आवश्यक पाये जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का समय–समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय–समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. सेवा का प्रारंभिक गठन.–सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,–

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और

(ग) नियम 35 के अधीन किसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए समस्त व्यक्ति।

भाग 3
भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.–(1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पद पर भर्ती अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 3 और 4 में यथा उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर यथा स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, जहां आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करके यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष–विशेष में भर्ती की किसी भी रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से नियुक्ति उसी प्रकार की जा सकेगी जैसी इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) अनुसूची–II 'अधीनस्थ सेवा पद' के "समूह क: अध्यापन विंग" में यथा निर्दिष्ट अध्यापकों के मामले में, 100 प्रतिशत रिक्तियां, पंचायत समितियों के अधीन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के स्थानांतरण द्वारा भरी जायेंगी:

परन्तु,–

(क) अध्यापक सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध करवाये जायेंगे;

(ख) वे इन नियमों के अधीन पदों के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हो; और

(ग) उनका अभिलेख संतोषप्रद पाया गया हो।

(4) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों द्वारा विनियमित होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा–मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.–(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताओं और अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के अध्यधीन रहते हुए,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–10 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा:

परन्तु,–

6

(i) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा;

(ii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी का कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या संतानें तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उसका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा–मिलिटरी बलों के मामले में पैरा–मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा पद के लिए विहित आयु सीमा पूरी करता है और आवेदक सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में

रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन, खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन के किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा।यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :–

(i) सशस्त्र बल/पैरा–मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;

(ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी;

(iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान; और

(iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका संबंध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,–

(क) "सशस्त्र बल" से संघ की थल सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है;

(ख) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा–मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

टिप्पण : दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) "पैरा–मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा–मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये ; और

(घ) "स्थायी रूप से अशक्त" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में यथा परिभाषित "सदर्भित दिव्यांगजन" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति, ऐसे आरक्षण के लिए सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता–एवं–योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित किये गये पृथक्–पृथक् रोस्टरों के अनुसार ही की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी :

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती आयोजित नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष–विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए आरक्षित रिक्त पद (पदों) के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा :

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

9. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष–विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र

6

और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए **'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'** वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति,जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।

11. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–उन पदों को छोड़कर जो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं या बने हैं, अन्य समस्त पदों के लिए, सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला–अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष–विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में भी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को पहले अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह–महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की

अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण : "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, और जिन्होंने,–

(i) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय द्वारा आयोजित, उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,–

सारणी

क्र.सं.	अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय	टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप का नाम
1.	2.	3.
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी)	ओलंपिक खेल(ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलंपिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियाई खेल
3.	दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियाई खेल; सामान्यतः एस.ए.एफ गेम्स के रूप में जाना जाता है
4.	कॉमन वेल्थ गेम्स फेडरेशन (सी.जी.एफ.)	कॉमनवेल्थ गेम्स
5.	आई.ओ.सी. से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन	वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप
6.	ओ.सी.ए. से संबद्ध एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (आई.एस.एस.एफ.)	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/चैम्पियनशिप
8.	एशियाई स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ए.एस.एस.एफ.)	एशियाई स्कूल खेल/चैम्पियनशिप

या

(ii) भारत के स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

(iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(v) भारत ओलंपिक एसोसिएशन/भारत पैरा ओलम्पिक समिति या उससे संबद्ध राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय खेल/ राष्ट्रीय पैरा गेम्स या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/पैरा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

13.राष्ट्रीयता.– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

14. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.–इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु

राष्ट्रीयता, आयु–सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

15. रिक्तियों का अवधारण.– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद अनुसूचियो में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद अनुसूचियों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा यदि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

16. आयु.–सेवा में सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को,–

(क) राज्य सेवा में के पद के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए,

(ख) अधीनस्थ सेवा में के पद (पदों) के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु,–

(i) उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को,–

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा;

(ii) उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iii) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में दी गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा;

(v) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत में सेवा दे रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह–महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(viii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, यदि वे प्रारंभिक रूप से नियुक्ति किये जाने के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे; और

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में सीधी भर्ती के लिए, हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक की अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

17. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं और अनुभव.–अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा,–

(i) अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 5 में यथा विहित अर्हताएं और अनुभव; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञानः

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे,–

(क) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ख) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; या

(ग) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

18. चरित्र.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण :(1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में ही सच्चरित्रता प्रमाणपत्र दिये जाने से इन्कार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य

6wh

विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

19. शारीरिक उपयुक्तता.– सेवा में सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस

आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और उसकी आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

20. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.—कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लेने का दोषी है या आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है, वह दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त,—

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

21. संयाचना.— इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग 4
सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

22. प्रतियोगी परीक्षा.– सेवा में के विभिन्न पदों की समस्त सीधी भर्तियां, अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

23. परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकरी, पाठ्य विवरण और परीक्षा की आवृत्ति.– (1) परीक्षा, आयोग या बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी, जब तक कि सरकार यह विनिश्चित न करे कि इन पदों के लिए सीधी भर्ती किसी वर्ष–विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

24. आवेदन आमंत्रित करना.–(1) आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन, राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, भरी जाने वाली रिक्तियों को विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के पे मैट्रिक्स के लेवल में वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय यदि, आयोग/बोर्ड/समिति/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उन्हें/उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन करने से पूर्व प्राप्त हो जाये तो, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति, नोटिस के साथ या ऐसी अन्य रीति से जो वे/वह उचित

समझें/समझे, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित ब्यौरों पर सूचना देते हुए, ऐसे अनुदेश जो वे/वह आवश्यक समझें/समझे जारी कर सकेंगे/सकेगाः–

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं इत्यादि से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या उपदर्शित करते हुए, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या;

(ii) परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख और प्रस्तुतीकरण की रीति;

(iii) अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और रीतियां जिसके द्वारा ये अर्हताएं स्थापित की जायेंगी;

(iv) परीक्षा का स्थान और तारीख; और

(v) परीक्षा का पाठ्य विवरण।

25. आवेदन का प्ररूप और परीक्षा में प्रवेश.–(1) आवेदन आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और उसे आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग/बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी को नियमों में यथा उपबंधित आयु, शैक्षिक/वृत्तिक अर्हताओं, अनुभव इत्यादि के संबंध में अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। परीक्षा/साक्षात्कार लेने के लिए अनुज्ञात किया जाना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनाता। नियम 28 के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व, आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, तत्पश्चात् केवल ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये हैं के आवेदनों की संवीक्षा करेगा ।

(3) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

26. आवेदन फीस.—(1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को उनके/उसके द्वारा समय—समय पर नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो उनके/उसके द्वारा उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।

(2) परीक्षा फीस के प्रतिदाय के लिए, किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखी जायेगी, सिवाय उस मामले के जब आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कारण से विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, जिसमें आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा नियत रकम, प्रतिदाय करने से पूर्व काटी जायेगी।

27. आवेदनों की संवीक्षा.—आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उनके/उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे/करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वे/वह वांछनीय समझें/समझे, साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेंगे/करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

28. आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें.— आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे। आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा है:

परन्तु,—

(i) उपर्युक्त यथा नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

(ii) आयोग/बोर्ड/समिति विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भी प्रवर्गवार आरक्षित सूची में रख सकेगी। आयोग/बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी को, अध्यपेक्षा किये जाने पर, उस तारीख से जिसको मूल सूची, उनके/उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की गयी है, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, छह मास के भीतर–भीतर कर सकेगा।

29. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– (1) कोई भी अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार अनुज्ञ हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु,–

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) इस उप–नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगें।

(iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(v) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

30. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.–नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 8,9,10,11 और 12 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में से योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य संभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

31. विभागीय पदोन्नति समिति का गठन.—समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले ऐसे पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं :

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
2. प्रशासनिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
3. कार्मिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य—सचिव।

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाती हैं :

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
2.संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
3.संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
5. संबंधित रेंज का उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य—सचिव।

(ग) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां संबंधित रेंज के संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती हैं :

1. संबंधित रेंज का संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप निदेशक	सदस्य

3.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य।

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव होगा।

32. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.–(1) इन नियमों के नियम 15 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चत करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप–नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता–एवं–योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 6 में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए स्तम्भ 7 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ 4 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु,–

(i) वरिष्ठ अध्यापक पर परिवीक्षाकाल के दौरान उसके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार, विशिष्ट विषय के प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर केवल उसकी पदोन्नति के लिए ही विचार किया जायेगा। परिवीक्षाकाल के दौरान एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। जो व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे उनसे इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् छह मास के भीतर–भीतर यथापूर्वोक्त विकल्प के चयन की अपेक्षा की जायेगी। कोई वरिष्ठ अध्यापक जो यथापूर्वोक्त चयन नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात् जिन्होंने विकल्प दिया था, रिक्तियों की उपलब्धता के

अध्यधीन रहते हुए, उनकी वरिष्ठता–एवं–पात्रता के अनुक्रम में किसी पद अर्थात् विशिष्ट विषय का प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(ii) जो वरिष्ठ अध्यापक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के समय स्नातकोत्तर नहीं थे उनसे स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात्, पदोन्नति के लिए, स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् से तीन माह की कालावधि के भीतर–भीतर, विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।

(iii) वरिष्ठ अध्यापक, जो अपना विकल्प देता/देती है उसको इसे बदलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

(iv) वरिष्ठ अध्यापक, जिसने विकल्प देने के पश्चात् अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, उसे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् से तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर, अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया जायेगा।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ/हुई हो।

स्पष्टीकरणः यदि किसी वर्ष–विशेष में पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, से तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु,–

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पदपर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु,–

(i) राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर ही की जायेगी।

(ii) यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष–विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो पद पर वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) (i) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी:–

रिक्तियों की संख्या–	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए –	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए–	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए–	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए–	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या–सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(iv) इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में के किसी पद के लिए,–

(क) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में समान लेवल में एक से अधिक पद–प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स में समान लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(ख) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में भिन्न–भिन्न लेवल वाले एक से अधिक पद–प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हो तो केवल तब ही पे मैट्रिक्स में निम्नतर लेवल में के अन्य पद–प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के

लिए विचार की संख्या–सीमा कुल मिलाकर पांच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथा विहित हैं।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची, पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित की जायेगी, जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति,योग्यता के आधार परभी एक पृथक् सूची तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में आयी हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप–नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया गया है, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए विभागीय समिति की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप–नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्यों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हो, के

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी ;

स्पष्टीकरण : योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिएसमिति की बैठक आयोजित की गयी है, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष–विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदनमें की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक

6W

विभाग की और आयोग बोर्ड (जहां आयोग बोर्ड सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां उप–नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में के व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उन्हें सूचियों में रखा गया है, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

33. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.—यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर या तो अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 6
नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

34. सेवा में नियुक्ति.—सेवा में के पद पर सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 32 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

35. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति .— (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, उसे सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न की हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा:

परन्तु,—

(i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी;

(ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों,सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप–नियम के अधीन यथा अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

36. वरिष्ठता.–सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु ,–

(1) किसी प्रवर्ग–विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी

होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम इन नियमों के नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं ;

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी वर्ष के दौरान सेवा में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा ;

(3) ऐसे चयन, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हैं;

(4) एक ही चयन में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे अगली निम्नतर ग्रेड में की है।

(5) नियम 6 के उप–नियम (3) के अधीन उपयुक्त न्यायनिर्णित किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी निरंतर सेवावधि के अनुसार अवधारित की जायेगी और वे इन नियमों के प्रांरभ की तारीख तक सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों से सामूहिक रूप में रैंक में कनिष्ठ होंगे।

(6) पदोन्नति की नियमित पंक्ति में अगले उच्चतम पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, पद पर विभिन्न रेंजों/प्रभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित वरिष्ठताओं का अंतर्गथन संबंधित रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रखी गयी वरिष्ठता सूची में उनके क्रम स्थान पर विचार किये बिना, पद पर अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण की तारीख के आधार पर किया जायेगा।

(7) ऐसे व्यक्ति, जिसका स्थानान्तरण अपनी पूर्व रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी से अन्य रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी को हो गया है, का नाम उत्तरकालीन रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस पद पर नियुक्त किये गये कनिष्ठम व्यक्ति से नीचे रखा जायेगा।

(8) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दु पूर्ण हो जाते हैं तत्पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्वान्त का प्रयोग पदोन्नति में किया जायेगा जब कभी भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां आयें हों।

स्पष्टीकरणः "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

37. परिवीक्षा की कालावधि.– (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु,–

(i) कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में के प्रारंभिक पद से किसी उच्चतर पद, जिसके लिए शैक्षणिक/वृत्तिक अर्हताओं के अतिरिक्त कुछ अनुभव विहित किया गया है, पर सीधे रूप से भर्ती किया गया है, एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा,

(ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसके दौरान किसी व्यक्ति को किसी तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

38. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.–(1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि ,–

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता/करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती ;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो ; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उक्त उप–नियम में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी

या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण : (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है,–

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति ;

(ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के कार्य, क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे :

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके

प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

39. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.—यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

40. स्थायीकरण.—एक परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,—

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण,जैसा कि सरकार समय—समय पर विनिर्दिष्ट करे, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ग) सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग 7
वेतन

41. वेतनमान.– सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का पे मैट्रिक्स के लेवल में मासिक वेतन वह होगा जो नियम 43 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाये।

42. परिवीक्षा के दौरान वेतन.– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक रूप से नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये :

परन्तु सरकारी सेवा में इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवाक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के पे मैट्रिक्स में उसके स्वयं के लेवल में परिलब्धियां या राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के उपबंधों के अनुसार नये पद का नियत पारिश्रमिक, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

43. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.– इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(ix) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय–समय पर यथा–संशोधित; और

(x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये अन्य कोई नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों और तत्समय प्रवृत्त हों।

44. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.– अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश द्वारा इन नियमों के सुसंगत उपबंधों को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी :

परन्तु–

(i) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(ii) इस नियम के अधीन विहित सेवा काल या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के

लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा ।

(iii) जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, ऐसी शर्त कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो के अध्यधीन प्रदान की जायेगी ।

45. शंकाओं का निराकरण.– यदि इन नियमों के लागू होनेऔर उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

46. निरसन और व्यावृत्ति.– राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 और राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

अनुसूची–।

राज्य सेवा पद

समूह क: प्रशासनिक विंग

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अतिरिक्त निदेशक	–	100 प्रतिशत	–	संयुक्त निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला संयुक्त निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, संयुक्त निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले संयुक्त निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।	–
2.	संयुक्त निदेशक	–	100 प्रतिशत	–	उप निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला उप निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, उप निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए, उप निदेशक और जिला शिक्षा अधकारी के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले उप निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।	–
3.	उप निदेशक	–	100 प्रतिशत	–	जिला शिक्षा अधिकारी	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	–

4.	जिला शिक्षा अधिकारी	—	100 प्रतिशत	—	प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—
5.	प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय	—	निम्न लिखित विखंडों सहित 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा— (i)प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय से 20 प्रतिशत। (ii)प्राध्यापक/ अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी में से 80 प्रतिशत।	—	प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय/प्राध्यापक/ अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर और बी.एड. या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	—
6.	प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही किसी विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद 5 वर्ष का अनुभव	—
7.	अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी विद्यालय में 5 वर्ष का	वरिष्ठ अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—

				अध्यापन अनुभव।			

समूह खः अध्यापन विंग							
1.	प्राध्यापक (जीव विज्ञान)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव–विज्ञान/जीव–प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव–विज्ञान/जीव–प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2.	प्राध्यापक (वाणिज्य)	100 प्रतिशत	–	(i) बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कम से कम दो अध्यापन विषय हों। (ii) सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कम से कम दो अध्यापन विषय हों साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

6mh

3.	प्राध्यापक (संगीत)	100 प्रतिशत	—	संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता।	वरिष्ठ अध्यापक	संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में संगीत के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
4.	प्राध्यापक (ड्राइंग)	100 प्रतिशत	—	ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हरता मेंवि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कला के किसी विद्यालय/महाविद्यालय से कला में पांच वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हरता में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में ड्राइंग के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
5.	प्राध्यापक (कृषि)	100 प्रतिशत	—	कृषि विज्ञान/उद्यान कृषि/ पशु पालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	कृषि विज्ञान/उद्यान कृषि/पशु पालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक, 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

6.	प्राध्यापक (अन्य विषय)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–

समूह गः पुस्तकालय विंग

1.	राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष	–	100 प्रतिशत	–	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–I	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–I	–	100 प्रतिशत	–	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही 5 वर्ष का अनुभव या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 8 वर्ष का अनुभव।	–

समूह घः शारीरिक शिक्षा विंग

1.	प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	–	100 प्रतिशत	–	सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा और शारीरिक शिक्षा में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
2.	सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	–	100 प्रतिशत	–	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
3.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	–	100 प्रतिशत	–	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा/कोच	शारीरिक शिक्षा या किसी अन्य विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
4.	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक शिक्षा	–

				राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा/ एम.पी.एड. (2 वर्ष की अवधि) में स्नातकोत्तर।		में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
5.	कोच	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा और राष्ट्रीय खेल संस्थान की किसी शाखा से पूर्णकालिक राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) प्रमाणपत्र।	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से पूर्णकालिक प्रशिक्षण या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से शारीरिक शिक्षा और संबंधित पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—

अनुसूची–II
अधीनस्थ सेवा पद

समूह क: अध्यापन विंग							
क्र. सं.	**पद का नाम**	**भर्ती की रीति**		**सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	**पद जिससे पदोन्नति की जानी है**	**पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	**अभ्युक्तियां**
		सीधी	**पदोन्नति**				
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1.	वरिष्ठ अध्यापक 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	**(i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा, और सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव **(i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और	—

	विज्ञान			मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(ii)क्रम सं.4 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(iii)क्रम संख्यांक 6 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।		सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(ii)क्रम सं. 4 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(iii)क्रम संख्यांक 6 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	
2.	वरिष्ठ अध्यापक	—	100	—	1. अध्यापक	विद्यमान अध्यापक जो सरकार/राष्ट्रीय	—

6M

	(सामान्य)		प्रतिशत		2. प्रयोगशाला सहायक	अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं और क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय के वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।	
3.	वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक विज्ञान	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	**(i)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:–** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री ; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा **(ii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 4 पर के पद के लिए:–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा:– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव– विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान;	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक 3. दृष्टि बाधित विद्यालय/ मूक–बधिर विद्यालय में अध्यापक	**(i)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:–** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(ii) स्तम्भ संख्यांक 2 मेंक्रम सं. 4 पर के पद के लिए:–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा:– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव– विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या	—

				तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा **(iii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिए** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री ; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।		शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(iii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिएः–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

4.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	–	100 प्रतिशत	–	प्रयोगशाला सहायक	वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या सीनियर सैकण्डरी साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	–
5.	अध्यापक	–	–	–	–	–	वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जायेंगे।
6.	दृष्टि बाधित विद्यालय / मूक–बधिर विद्यालय में अध्यापक	–	–	–	–	–	वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जायेंगे।
7.	प्रयोगशाला सहायक	100 प्रतिशत	–	वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम तीन विषयों के साथ सीनियर सैकण्डरीः सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित।	–	–	12.5 प्रतिशत पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में संवर्ग में अधिष्ठायी रूप से पद धारण करने वाले प्रयोगशाला अनुकर्मियों / कर्मचारियों में से इस

							शर्त के अध्यधीन भरे जायेंगे कि वे इन नियमों के अधीन ऐसी भर्ती के लिए अन्यथा पात्र पाए गये हैं।
समूह खः पुस्तकालय विंग							
1.	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–II	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–III	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–III	100 प्रतिशत	–	सीनियर सैकण्डरी साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा।	–	–	–
समूह गःशारीरिक शिक्षा विंग							
1	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)।	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.), और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 01.04.2013 को विद्यमान शारीरिक शिक्षा अध्यापक जिनके पास शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) है, वे पदोन्नति के पात्र हैं, उनके निःशेष होने के

							पश्चात् केवल वे शारीरिक शिक्षा अध्यापक ही, जिनके पास शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) की अर्हता है, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
2	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	100 प्रतिशत	—	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.)।	—	—	—

अनुसूची–III

1. प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा की स्कीम :–

(1) परीक्षा 600 अंक की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	राजस्थान की संस्कृति पर विशेष बल देते हुए राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
2.	राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र
3.	समसामयिक मामले
4.	राजस्थान, भारत, विश्व भूगोल
5.	सामान्य विज्ञान

प्रश्नपत्र–II शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन के बारे में सामान्य बोध

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण
2.	सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर)
3.	शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
4.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम, जीएफ एण्ड एआर
5	अध्यापन में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
6	भाषा योग्यता परीक्षण :– हिन्दी, अंग्रेजी

2. अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा की स्कीम :–

(1) परीक्षा 400 अंक की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं–

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : दो घण्टे

	विषय
1.	राजस्थान की संस्कृति पर विशेष बल देते हुए राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
2.	राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र
3.	राजस्थान, भारत, विश्व का भूगोल
4.	भाषा योग्यता परीक्षणः हिन्दी, अंग्रेजी
5.	सामान्य विज्ञान
6.	सांख्यिकी (माध्यमिक स्तर), गणित (माध्यमिक स्तर)

प्रश्नपत्र–II शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन के बारे में सामान्य बोध

समयावधि : दो घण्टे

	विषय
1.	समसामयिक मामले
2.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण
3.	अध्यापन में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
4.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम, जीएफ एण्ड एआर
5.	विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
6.	शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र

3. विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:–

(1) परीक्षा 450 अंकों की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 300 अंको का होगा। प्रश्नपत्र–I की समयावधि डेढ़ घण्टे की और प्रश्नपत्र–II की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : 1 घण्टा और 30 मिनट

	विषय
1.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास
2.	बौद्धिक परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा योग्यता परीक्षण: हिन्दी, अंग्रेजी
3.	समसामयिक मामले
4.	सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल
5.	शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

प्रश्नपत्र–II संबंधित विषय

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	संबंधित विषय का ज्ञान : सीनियर सैकण्डरी स्तर
2.	संबंधित विषय का ज्ञान : स्नातक स्तर
3.	संबंधित विषय का ज्ञान : स्नातकोत्तर स्तर
4.	शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र, अध्यापन अधिगम सामग्री, अध्यापन अधिगम में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

4. कोच के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:–

(1) परीक्षा 450 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित प्रश्नपत्र–II "टिप्पण" के अनुसार)।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 300 अंको का होगा। प्रश्नपत्र–I की समयावधि डेढ़ घण्टे की और प्रश्नपत्र–II की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं–

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : 1 घण्टा और 30 मिनट

	विषय
1.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास।
2.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा योग्यता परीक्षण : हिन्दी, अंग्रेजी
3.	समसामयिक मामले
4.	सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल

प्रश्नपत्र–II संबंधित स्पोर्ट्स

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स का ज्ञान
2.	स्पोर्ट्स विज्ञान
3.	प्रशिक्षण का सामान्य सिद्धान्त और रीति
4.	खेलकूद/स्पोर्ट्स और इसके समसामायिक मामलों का विशिष्ट ज्ञान

टिप्पण : (I) स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे .–

1. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता।	40 अंक
2. राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।	36 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।	32 अंक
4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।	28 अंक
5. राज्य स्तर पर II स्थान।	24 अंक
6. राज्य स्तर पर III स्थान।	20 अंक
7. राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।	16 अंक
8. जिला स्तर पर II स्थान।	12 अंक
9. जिला स्तर पर III स्थान।	08 अंक
10. जिला स्तर पर भाग लेना।	04 अंक

टिप्पण : (II) स्तर निम्नानुसार होंगे .–

1. **जिला स्तर –** निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे :–

(क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।

(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ङ) विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।

2. राज्य स्तर – निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे :–

(क) प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

3. राष्ट्रीय स्तर – निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे :–

(क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।
(ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

4. अन्तरराष्ट्रीय स्तर – इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना :–
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण : (III) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों का सत्यापन–

(क) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्थान के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छात्र है।
(ख) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

5. वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:–

परीक्षा 500 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 200 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 300 अंको का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
(4) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–
   (i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
   (ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
   (iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
   (iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र–II

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा।
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।
(3) प्रश्नपत्र में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:–

(i) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

(ii) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान।

(iii) सुसंगत विषय की अध्यापन रीतियां।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

6. प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:–

(1) परीक्षा 460 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे प्रश्नपत्र–II में उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 200 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 260 अंकों का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।

(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।

(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।

(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र—II

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 260 अंकों का होगा।
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी।
(3) प्रश्नपत्र में 130 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।
स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:—

(i) सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान
(ii) स्पोर्ट्स और शारीरिक शिक्षा तथा समसामयिक मामलों का सामान्य ज्ञान।
(iii) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त, परिभाषाएं और इतिहास।
(iv) शिक्षा और खेल मनोविज्ञान।
(v) शारीरिक शिक्षा की रीतियां, पर्यवेक्षण और आयोजन।
(vi) प्रशिक्षण और विनिश्चय के सिद्धान्त।
(vii) शारीरिक रचना का मूल विज्ञान, कृत्य और स्वास्थ्य शिक्षा।
(viii) आमोद—प्रमोद, कैम्प और योग।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक

शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने पर अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।

टिप्पण : (I) स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे .—

1.	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता।	40 अंक
2.	राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।	36 अंक
3.	राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।	32 अंक
4.	राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।	28 अंक
5.	राज्य स्तर पर II स्थान।	24 अंक
6.	राज्य स्तर पर III स्थान।	20 अंक
7.	राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।	16 अंक
8.	जिला स्तर पर II स्थान।	12 अंक
9.	जिला स्तर पर III स्थान।	08 अंक
10.	जिला स्तर पर भाग लेना।	04 अंक

टिप्पण : (II) स्तर निम्नानुसार होंगे .—

1. **जिला स्तर** .—निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे :

(क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ङ) विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।

2. **राज्य स्तर** .—निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे :

(क) प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

3. **राष्ट्रीय स्तर** .—निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे :

(क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।
(ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

4. **अन्तरराष्ट्रीय स्तर** .—इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना :
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण : (III) स्पोर्टस प्रमाणपत्रों का सत्यापन.—

(क) स्पोर्टस प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्था के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्थान का नियमित छात्र है।
(ख) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के स्पोर्टस प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

7. वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:—

परीक्षा की स्कीम :—

(1) परीक्षा 600 अंक की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) प्रत्येक प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रकार के 150 प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।
(v) बाल विकास
(vi) विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा और समझ की धारणा
(vii) अधिगम और शिक्षणशास्त्र
(viii) भाषा–हिन्दी और अंग्रेजी
(ix) डाटा प्रबंध और रिर्पोटिंग।

प्रश्नपत्र–II

प्रश्नपत्र दो भागों में होगा। प्रत्येक भाग में 75 प्रश्न होंगे

भाग–क

निम्नलिखित में से किसी एक में जिसके लिए यह आवेदन कर रहा है अर्थात् दृष्टिगत ह्रास, श्रवणशक्ति ह्रास, मानसिक मंदता के संबंध में उसे विशेषज्ञता हो।

1. **दृष्टिगत** ह्रास
   (i) दृष्टिगत ह्रास, की प्रस्तावना
   (ii) दृष्टिगत ह्रास, के शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य
   (iii) दृष्टिगत ह्रास, वाले बालकों के लिए अध्यापन की युक्तियों के अधिगम की रीति

2. **मानसिक मंदता**
   (i) मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की पहचान और निर्धारण
   (ii) मानसिक मंदता–इसके बहु–विषयक पहलू
   (iii) पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली
   (iv) इन्क्लुसिव सेटअप (Inclusive setup) में अधिगम कठिनाईयों वाले बालकों के अधिगम की प्रणाली अन्तभूर्तकारी व्यवस्था/परिस्थिति

3. **श्रवणशक्ति ह्रास**
   (i) विभिन्न निःशक्तताओं की आवश्यकता की प्रकृति–एक प्रस्तावना
   (ii) शिक्षाः एक वैश्विक पहलू
   (iii) शैक्षणिक योजना और प्रबंध–पाठ्यक्रम संरचना और अनुसंधान
   (iv) श्रवणशक्ति ह्रास वाले बालकों में भाषा और संसूचना युक्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाना
   (v) श्रव्य सुधार
   (vi) श्रवणशक्ति ह्रास वाले बालकों को भाषा और भाषा अध्यापन की प्रस्तावना

भाग–ख

(i) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान

(ii) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान

(iii) सुसंगत विषय की शिक्षण पद्धति।

8. पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–II और ग्रेड–III के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा 400 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।

(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।

(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।

(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र—II

ज्ञान संगठन, सूचनात्मक प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :—

(i) ज्ञान जगत
संरचना और गुण
विषय निर्माण के तरीके
विषयों के विभिन्न प्रकार
ज्ञान जगत के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में रेखांकन

(ii) ग्रंथ सूची विवरण
ओपेक नियमों को सम्मिलित करते हुए सूची उद्धेश्य संरचना एवं भौतिक स्वरूप
सूचीकरण के नियामक सिद्धांत

प्रलेखीय विवरणो के सिद्धान्तों का विहंगम दृष्टिकोण

मानकीकरण विवरण और विनिमय में वर्तमान रूझान

सूचीकरण का मानक पाठ्यक्रम

(iii) ज्ञान संगठन की विधियां

विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान

पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत

वर्गीकरण और उनके लागू होने का मानक सिद्धांत

पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार

वर्गीकरण की मानक योजनाए और उनकी विशेषताएं सी.सी., ई.डी.सी., यू.डी.सी.

नोटेशनः आवश्यकता, कार्य, गुण

पुस्तकालय वर्गीकरण, मानक उप–अनुभाग अनुक्रमणिका स्कीमों की डिजाइन और विकास

पुस्तकालय वर्गीकरण में रूझान

(iv) विषय वर्गीकरण

शिक्षा मनोविज्ञान

विषय वर्गीकरण के सिद्धान्त

विषय शीर्ष सूचियां और उनकी विशेषताएं।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

9. प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा 400 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।

(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।

(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।

(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र–II

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–

(i) विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

(ii) भौतिक विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

(iii) रसायन विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

(iv) जीव विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

28/2021

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 26, शुक्रवार, शाके 1943-सितम्बर 17, 2021 *Bhadra 26, Friday, Saka 1943- September 17, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2021

जी.एस.आर.330 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 है।

2.

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

3. नियम 266 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 266 के विद्यमान खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

(3) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा) (क) सामान्य शिक्षा स्तर-(i) कक्षा 1 से 5 तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं और रीट (R.E.E.T.)/आरटेट (R.T.E.T) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।
स्तर-(ii) कक्षा 6 से	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम

8 तक	सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं, और (i) सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (ii) विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो-बायोलोजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टैक्नोलोजी), जैव रसायन विज्ञान (बायो-कैमिस्ट्री) और गणित में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iii) भाषा के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी भाषा विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iv) अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./बी.एससी. बी.एड. स्नातक हो अर्थात् चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; और (v) आवेदित विषय में रीट (R.E.E.T.)/आरटेट(R.T.E.T.) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

(ख) विशेष शिक्षा स्तर-(i) कक्षा 1 से 5 तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं और रीट (R.E.E.T.)/आरटेट (R.T.E.T) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।
स्तर-(ii) कक्षा 6 से 8 तक	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित अर्हताएं; और (i) सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (ii) विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो-बायोलोजी), जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टैक्नोलोजी), जैव रसायन विज्ञान (बायो-कैमिस्ट्री) और गणित में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iii) भाषा के अध्यापक के लिए, अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी भाषा विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; (iv) अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./ बी.एससी. बी.एड. स्नातक हो

अर्थात् चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता रखने वाला कोई अभ्यर्थी तत्संबंधी विषय के साथ अर्हता परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए; और

(v) आवेदित विषय में रीट (R.E.E.T.)/आरटेट (R.T.E.T.) उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।"

3. अनुसूची-1 का संशोधन.- उक्त नियमों के अध्याय 12 की अनुसूची-1 के क्रम संख्यांक 5 में,-

i. स्तंभ 2 की मद (क) सामान्य शिक्षा की उप-मद स्तर-(ii) कक्षा 6 से 8 तक, के सामने स्तंभ 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

ii. स्तंभ 2 की मद (ख) विशेष शिक्षा की उप-मद स्तर-(ii) कक्षा 6 से 8 तक के सामने स्तंभ 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, लेखाशास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[**सं.एफ.4(2)अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2020/808**]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. प्रेम सिंह चारण,

संयुक्त शासन सचिव ।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)

NOTIFICATION

Jaipur, September 15,2021

G.S.R.330 :-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 266.- The existing clause (3) of rule 266 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely :-

"(3) Primary and Upper Primary School Teacher (100 percent by direct recruitment)	
(A) General Education Level-(i) Class I to V	Qualification as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time and must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T..
Level-(ii) Class VI to VIII	Qualifications as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time, and (i) for the teacher of Social Studies, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy, Economic & Financial Management and Banking & Business Economics; (ii) for the teacher of Science and Mathematics, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Micro-Biology, Bio-technology, Bio-chemistry and Mathematics; (iii) for the teacher of language, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with the corresponding language as an optional subject; (iv) the candidate who has Graduated in Elementary Education (B.El.Ed.) or B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed., i.e. a candidate with the qualification of four years integrated course, must also have passed the qualifying examination with the corresponding subject; and (v) must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T. in the subject applying for.

(B) Special Education Level- (i) Class I to V	Qualification as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time and must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T..
Level-(ii) Class VI to VIII	Qualifications as laid down by the National Council for Teacher Education under the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act. No. 35 of 2009), from time to time; and (i) for the teacher of Social Studies, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy, Economic & Financial Management and Banking & Business Economics; (ii) for the teacher of Science and Mathematics, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with at least one subject as an optional subject from amongst Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Micro-Biology, Bio-technology, Bio-chemistry and Mathematics; (iii) for the teacher of language, the candidate must have passed graduation or equivalent examination with the corresponding language as an optional subject; (iv) the candidate who has Graduated in Elementary Education (B.El.Ed.) or B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed., i.e. a candidate with the qualification of four years integrated course, must also have passed the qualifying examination with the corresponding subject; and (v) must have passed the R.E.E.T./R.T.E.T. in the subject applying for."

3. Amendment of schedule-I.- In serial number 5 of schedule-I of chapter-XII of the said rules,-

(i) in column 5 against sub-item level-(ii) Class VI to VIII of item (a) General Education of column 2, for the existing expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy", the expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy,

Economic & Financial Management and Banking & Business Economics" shall be substituted; and

(ii) in column 5 against sub-item level-(ii) Class VI to VIII of item (b) Special Education of column 2, for the existing expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy", the expression "History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration, Philosophy, Accountancy, Economic & Financial Management and Banking & Business Economics" shall be substituted.

[No. F4(2) AM/Rule/Legal/PR/2020/808]
By Order of the Governor,
Dr. Prem Singh Charan,
Jt. Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ.1(3)डीओपी/ए–II/2021 जयपुर, दिनांक : 26/7/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग 1
साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2.परिभाषाएं.–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से, राज्य सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में, सरकार और ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें, अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकार के अनुमोदन से निदेशक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों को करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये ;

6ms

(ख) **"बोर्ड"** से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) **"आयोग"** से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) **"समिति"** से नियम 31 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"विभाग"** से माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभिप्रेत है ;

(च) **"निदेशक"** से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है ;

(छ) **"सीधी भर्ती"** से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(ज) **"सरकार"** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(झ) **"सेवा का सदस्य"** से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) **"विद्यालय"** से प्रारंभिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चालू समस्त विद्यालय अभिप्रेत हैं;

(ठ) **"सेवा"** से राजस्थान शिक्षा सेवा या, यथास्थिति, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा, अभिप्रेत है ;

(ड) **"सेवा" या "अनुभव"** जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कोई निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो।

टिप्पण : सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन

6rh

"ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में भी गिनी जायेगी;

(ढ) **"राज्य"** से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;

(ण) **"अधिष्ठायी नियुक्ति"** से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन में अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, या तो नियम 5 के अनुसार सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी, भर्ती सम्मिलित होगी; और

(प) **"वर्ष"** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2
संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.–(1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

6m

(3) सेवा में पृथक्–पृथक् संवर्ग होंगे जो अनुसूची–I और अनुसूची–II के समूहों में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु सरकार, –

(क) आवश्यक पाये जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का समय–समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय–समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. सेवा का प्रारंभिक गठन.–सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,–

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और

(ग) नियम 35 के अधीन किसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए समस्त व्यक्ति।

भाग 3
भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.–(1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पद पर भर्ती अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 3 और 4 में यथा उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर यथा स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, जहां आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करके यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष–विशेष में भर्ती की किसी भी रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से नियुक्ति उसी प्रकार की जा सकेगी जैसी इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) अनुसूची–II 'अधीनस्थ सेवा पद' के "समूह क: अध्यापन विंग" में यथा निर्दिष्ट अध्यापकों के मामले में, 100 प्रतिशत रिक्तियां, पंचायत समितियों के अधीन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के स्थानांतरण द्वारा भरी जायेंगी:

परन्तु,–

(क) अध्यापक सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध करवाये जायेंगे;

(ख) वे इन नियमों के अधीन पदों के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हो; और

(ग) उनका अभिलेख संतोषप्रद पाया गया हो।

(4) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों द्वारा विनियमित होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा–मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.–(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताओं और अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के अध्यधीन रहते हुए,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–10 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा:

परन्तु,–

6

(i) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा;

(ii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी का कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या संतानें तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उसका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा–मिलिटरी बलों के मामले में पैरा–मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा पद के लिए विहित आयु सीमा पूरी करता है और आवेदक सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में

रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन, खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन के किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा।यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :–

(i) सशस्त्र बल/पैरा–मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;

(ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी;

(iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान; और

(iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका संबंध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,–

(क) "सशस्त्र बल" से संघ की थल सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है;

(ख) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा–मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

टिप्पण : दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) "पैरा–मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा–मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये ; और

(घ) "स्थायी रूप से अशक्त" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में यथा परिभाषित "सदर्भित दिव्यांगजन" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति, ऐसे आरक्षण के लिए सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता–एवं–योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित किये गये पृथक्–पृथक् रोस्टरों के अनुसार ही की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी :

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती आयोजित नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष–विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए आरक्षित रिक्त पद (पदों) के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा :

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

9. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष–विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र

6

और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए **'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'** वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति,जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।

11. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–उन पदों को छोड़कर जो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं या बने हैं, अन्य समस्त पदों के लिए, सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला–अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष–विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में भी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को पहले अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह–महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की

अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण : "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, और जिन्होंने,–

(i) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय द्वारा आयोजित, उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,–

सारणी

क्र.सं.	अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय	टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप का नाम
1.	2.	3.
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी)	ओलंपिक खेल(ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलंपिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियाई खेल
3.	दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियाई खेल; सामान्यतः एस.ए.एफ गेम्स के रूप में जाना जाता है
4.	कॉमन वेल्थ गेम्स फेडरेशन (सी.जी.एफ.)	कॉमनवेल्थ गेम्स
5.	आई.ओ.सी. से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन	वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप
6.	ओ.सी.ए. से संबद्ध एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (आई.एस.एस.एफ.)	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/चैम्पियनशिप
8.	एशियाई स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ए.एस.एस.एफ.)	एशियाई स्कूल खेल/चैम्पियनशिप

या

(ii) भारत के स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

(iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(v) भारत ओलंपिक एसोसिएशन/भारत पैरा ओलम्पिक समिति या उससे संबद्ध राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय खेल/ राष्ट्रीय पैरा गेम्स या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/पैरा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

13.राष्ट्रीयता.– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

14. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.–इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु

राष्ट्रीयता, आयु–सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

15. रिक्तियों का अवधारण.– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद अनुसूचियो में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद अनुसूचियों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा यदि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

16. आयु.–सेवा में सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को,–

(क) राज्य सेवा में के पद के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए,

(ख) अधीनस्थ सेवा में के पद (पदों) के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु,–

(i) उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को,–

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा;

(ii) उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iii) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में दी गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा;

(v) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत में सेवा दे रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह–महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(viii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, यदि वे प्रारंभिक रूप से नियुक्ति किये जाने के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे; और

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में सीधी भर्ती के लिए, हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक की अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

17. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं और अनुभव.–अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा,–

(i) अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 5 में यथा विहित अर्हताएं और अनुभव; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञानः

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे,–

(क) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ख) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; या

(ग) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

18. चरित्र.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण :(1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में ही सच्चरित्रता प्रमाणपत्र दिये जाने से इन्कार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य

6wh

विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

19. शारीरिक उपयुक्तता.– सेवा में सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस

आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और उसकी आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

20. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.—कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लेने का दोषी है या आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है, वह दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त,—

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

21. संयाचना.— इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग 4
सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

22. प्रतियोगी परीक्षा.– सेवा में के विभिन्न पदों की समस्त सीधी भर्तियां, अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

23. परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकरी, पाठ्य विवरण और परीक्षा की आवृत्ति.– (1) परीक्षा, आयोग या बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी, जब तक कि सरकार यह विनिश्चित न करे कि इन पदों के लिए सीधी भर्ती किसी वर्ष–विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

24. आवेदन आमंत्रित करना.–(1) आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन, राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, भरी जाने वाली रिक्तियों को विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के पे मैट्रिक्स के लेवल में वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय यदि, आयोग/बोर्ड/समिति/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उन्हें/उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन करने से पूर्व प्राप्त हो जाये तो, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति, नोटिस के साथ या ऐसी अन्य रीति से जो वे/वह उचित

समझें/समझे, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित ब्यौरों पर सूचना देते हुए, ऐसे अनुदेश जो वे/वह आवश्यक समझें/समझे जारी कर सकेंगे/सकेगाः–

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं इत्यादि से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या उपदर्शित करते हुए, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या;

(ii) परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख और प्रस्तुतीकरण की रीति;

(iii) अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और रीतियां जिसके द्वारा ये अर्हताएं स्थापित की जायेंगी;

(iv) परीक्षा का स्थान और तारीख; और

(v) परीक्षा का पाठ्य विवरण।

25. आवेदन का प्ररूप और परीक्षा में प्रवेश.–(1) आवेदन आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और उसे आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग/बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी को नियमों में यथा उपबंधित आयु, शैक्षिक/वृत्तिक अर्हताओं, अनुभव इत्यादि के संबंध में अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। परीक्षा/साक्षात्कार लेने के लिए अनुज्ञात किया जाना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनाता। नियम 28 के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व, आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, तत्पश्चात् केवल ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये हैं के आवेदनों की संवीक्षा करेगा ।

(3) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

26. आवेदन फीस.—(1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को उनके/उसके द्वारा समय—समय पर नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो उनके/उसके द्वारा उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।

(2) परीक्षा फीस के प्रतिदाय के लिए, किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखी जायेगी, सिवाय उस मामले के जब आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कारण से विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, जिसमें आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा नियत रकम, प्रतिदाय करने से पूर्व काटी जायेगी।

27. आवेदनों की संवीक्षा.—आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उनके/उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे/करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वे/वह वांछनीय समझें/समझे, साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेंगे/करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

28. आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें.— आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे। आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा है:

परन्तु,—

(i) उपर्युक्त यथा नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

(ii) आयोग/बोर्ड/समिति विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भी प्रवर्गवार आरक्षित सूची में रख सकेगी। आयोग/बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी को, अध्यपेक्षा किये जाने पर, उस तारीख से जिसको मूल सूची, उनके/उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की गयी है, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, छह मास के भीतर–भीतर कर सकेगा।

29. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– (1) कोई भी अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार अनुज्ञ हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु,–

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) इस उप–नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगें।

(iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(v) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

30. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.–नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 8,9,10,11 और 12 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में से योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य संभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

31. विभागीय पदोन्नति समिति का गठन.—समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले ऐसे पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं :

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
2. प्रशासनिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
3. कार्मिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य—सचिव।

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाती हैं :

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
2.संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
3.संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
5. संबंधित रेंज का उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य—सचिव।

(ग) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां संबंधित रेंज के संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती हैं :

1. संबंधित रेंज का संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप निदेशक	सदस्य

3.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य।

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव होगा।

32. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.–(1) इन नियमों के नियम 15 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चत करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप–नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता–एवं–योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 6 में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए स्तम्भ 7 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ 4 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु,–

(i) वरिष्ठ अध्यापक पर परिवीक्षाकाल के दौरान उसके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार, विशिष्ट विषय के प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर केवल उसकी पदोन्नति के लिए ही विचार किया जायेगा। परिवीक्षाकाल के दौरान एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। जो व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे उनसे इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् छह मास के भीतर–भीतर यथापूर्वोक्त विकल्प के चयन की अपेक्षा की जायेगी। कोई वरिष्ठ अध्यापक जो यथापूर्वोक्त चयन नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात् जिन्होंने विकल्प दिया था, रिक्तियों की उपलब्धता के

अध्यधीन रहते हुए, उनकी वरिष्ठता–एवं–पात्रता के अनुक्रम में किसी पद अर्थात् विशिष्ट विषय का प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(ii) जो वरिष्ठ अध्यापक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के समय स्नातकोत्तर नहीं थे उनसे स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात्, पदोन्नति के लिए, स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् से तीन माह की कालावधि के भीतर–भीतर, विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।

(iii) वरिष्ठ अध्यापक, जो अपना विकल्प देता/देती है उसको इसे बदलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

(iv) वरिष्ठ अध्यापक, जिसने विकल्प देने के पश्चात् अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, उसे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् से तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर, अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया जायेगा।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ/हुई हो।

स्पष्टीकरणः यदि किसी वर्ष–विशेष में पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, से तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु,–

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पदपर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु,–

(i) राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर ही की जायेगी।

(ii) यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष–विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो पद पर वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) (i) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी:–

रिक्तियों की संख्या–	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए –	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए–	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए–	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए–	रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या–सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(iv) इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में के किसी पद के लिए,–

(क) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में समान लेवल में एक से अधिक पद–प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स में समान लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(ख) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में भिन्न–भिन्न लेवल वाले एक से अधिक पद–प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हो तो केवल तब ही पे मैट्रिक्स में निम्नतर लेवल में के अन्य पद–प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के

लिए विचार की संख्या–सीमा कुल मिलाकर पांच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथा विहित हैं।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची, पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित की जायेगी, जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति,योग्यता के आधार परभी एक पृथक् सूची तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में आयी हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप–नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया गया है, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए विभागीय समिति की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप–नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्यों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हो, के

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी ;

स्पष्टीकरण : योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिएसमिति की बैठक आयोजित की गयी है, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष–विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदनमें की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक

6W

विभाग की और आयोग बोर्ड (जहां आयोग बोर्ड सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां उप–नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में के व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उन्हें सूचियों में रखा गया है, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

33. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.—यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर या तो अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 6
नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

34. सेवा में नियुक्ति.—सेवा में के पद पर सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 32 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

35. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति .— (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, उसे सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न की हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा:

परन्तु,—

(i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी;

(ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों,सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप–नियम के अधीन यथा अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

36. वरिष्ठता.–सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु ,–

(1) किसी प्रवर्ग–विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी

होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम इन नियमों के नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं ;

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी वर्ष के दौरान सेवा में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा ;

(3) ऐसे चयन, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हैं;

(4) एक ही चयन में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे अगली निम्नतर ग्रेड में की है।

(5) नियम 6 के उप–नियम (3) के अधीन उपयुक्त न्यायनिर्णित किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी निरंतर सेवावधि के अनुसार अवधारित की जायेगी और वे इन नियमों के प्रांरभ की तारीख तक सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों से सामूहिक रूप में रैंक में कनिष्ठ होंगे।

(6) पदोन्नति की नियमित पंक्ति में अगले उच्चतम पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, पद पर विभिन्न रेंजों/प्रभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित वरिष्ठताओं का अंतर्गथन संबंधित रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रखी गयी वरिष्ठता सूची में उनके क्रम स्थान पर विचार किये बिना, पद पर अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण की तारीख के आधार पर किया जायेगा।

(7) ऐसे व्यक्ति, जिसका स्थानान्तरण अपनी पूर्व रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी से अन्य रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी को हो गया है, का नाम उत्तरकालीन रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस पद पर नियुक्त किये गये कनिष्ठम व्यक्ति से नीचे रखा जायेगा।

(8) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दु पूर्ण हो जाते हैं तत्पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्वान्त का प्रयोग पदोन्नति में किया जायेगा जब कभी भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां आयें हों।

स्पष्टीकरणः "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

37. परिवीक्षा की कालावधि.– (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु,–

(i) कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में के प्रारंभिक पद से किसी उच्चतर पद, जिसके लिए शैक्षणिक/वृत्तिक अर्हताओं के अतिरिक्त कुछ अनुभव विहित किया गया है, पर सीधे रूप से भर्ती किया गया है, एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा,

(ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसके दौरान किसी व्यक्ति को किसी तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

38. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.–(1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि ,–

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता/करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती ;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो ; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उक्त उप–नियम में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी

या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण : (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है,–

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति ;

(ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के कार्य, क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे :

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके

प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

39. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.—यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

40. स्थायीकरण.—एक परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,—

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण,जैसा कि सरकार समय—समय पर विनिर्दिष्ट करे, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ग) सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग 7
वेतन

41. वेतनमान.– सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का पे मैट्रिक्स के लेवल में मासिक वेतन वह होगा जो नियम 43 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाये।

42. परिवीक्षा के दौरान वेतन.– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक रूप से नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये :

परन्तु सरकारी सेवा में इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवाक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के पे मैट्रिक्स में उसके स्वयं के लेवल में परिलब्धियां या राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के उपबंधों के अनुसार नये पद का नियत पारिश्रमिक, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

43. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.– इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(ix) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय–समय पर यथा–संशोधित; और

(x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये अन्य कोई नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों और तत्समय प्रवृत्त हों।

44. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.– अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश द्वारा इन नियमों के सुसंगत उपबंधों को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी :

परन्तु–

(i) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(ii) इस नियम के अधीन विहित सेवा काल या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के

लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा ।

(iii) जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, ऐसी शर्त कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो के अध्यधीन प्रदान की जायेगी ।

45. शंकाओं का निराकरण.– यदि इन नियमों के लागू होनेऔर उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

46. निरसन और व्यावृत्ति.– राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 और राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

राज्य सेवा पद

समूह क: प्रशासनिक विंग

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अतिरिक्त निदेशक	—	100 प्रतिशत	—	संयुक्त निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला संयुक्त निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, संयुक्त निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले संयुक्त निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।	—
2.	संयुक्त निदेशक	—	100 प्रतिशत	—	उप निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला उप निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, उप निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए, उप निदेशक और जिला शिक्षा अधकारी के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले उप निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।	—
3.	उप निदेशक	—	100 प्रतिशत	—	जिला शिक्षा अधिकारी	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	—

4.	जिला शिक्षा अधिकारी	—	100 प्रतिशत	—	प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—
5.	प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय	—	निम्न लिखित विखंडों सहित 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा— (i)प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय से 20 प्रतिशत। (ii)प्राध्यापक/ अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी में से 80 प्रतिशत।	—	प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय/प्राध्यापक/ अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर और बी.एड. या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	—
6.	प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही किसी विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद 5 वर्ष का अनुभव	—
7.	अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी विद्यालय में 5 वर्ष का	वरिष्ठ अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—

				अध्यापन अनुभव।			

समूह खः अध्यापन विंग							
1.	प्राध्यापक (जीव विज्ञान)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव–विज्ञान/जीव–प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव–विज्ञान/जीव–प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2.	प्राध्यापक (वाणिज्य)	100 प्रतिशत	–	(i) बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कम से कम दो अध्यापन विषय हों। (ii) सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कम से कम दो अध्यापन विषय हों साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

6mh

3.	प्राध्यापक (संगीत)	100 प्रतिशत	—	संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता।	वरिष्ठ अध्यापक	संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में संगीत के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
4.	प्राध्यापक (ड्राइंग)	100 प्रतिशत	—	ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हरता मेंवि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कला के किसी विद्यालय/महाविद्यालय से कला में पांच वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हरता में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में ड्राइंग के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
5.	प्राध्यापक (कृषि)	100 प्रतिशत	—	कृषि विज्ञान/उद्यान कृषि/ पशु पालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	कृषि विज्ञान/उद्यान कृषि/पशु पालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक, 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

6.	प्राध्यापक (अन्य विषय)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–

समूह गः पुस्तकालय विंग

1.	राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष	–	100 प्रतिशत	–	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–I	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–I	–	100 प्रतिशत	–	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही 5 वर्ष का अनुभव या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 8 वर्ष का अनुभव।	–

समूह घः शारीरिक शिक्षा विंग

1.	प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	–	100 प्रतिशत	–	सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा और शारीरिक शिक्षा में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
2.	सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	–	100 प्रतिशत	–	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
3.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	–	100 प्रतिशत	–	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा/कोच	शारीरिक शिक्षा या किसी अन्य विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
4.	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक शिक्षा	–

				राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा/ एम.पी.एड. (2 वर्ष की अवधि) में स्नातकोत्तर।		में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
5.	कोच	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा और राष्ट्रीय खेल संस्थान की किसी शाखा से पूर्णकालिक राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) प्रमाणपत्र।	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से पूर्णकालिक प्रशिक्षण या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से शारीरिक शिक्षा और संबंधित पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—

अनुसूची–II
अधीनस्थ सेवा पद

समूह क: अध्यापन विंग							
क्र. सं.	**पद का नाम**	**भर्ती की रीति**		**सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	**पद जिससे पदोन्नति की जानी है**	**पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	**अभ्युक्तियां**
		सीधी	**पदोन्नति**				
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1.	वरिष्ठ अध्यापक 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	**(i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा, और सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव **(i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और	—

	विज्ञान			मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(ii)क्रम सं.4 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(iii)क्रम संख्यांक 6 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।		सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(ii)क्रम सं. 4 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(iii)क्रम संख्यांक 6 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	
2.	वरिष्ठ अध्यापक	—	100	—	1. अध्यापक	विद्यमान अध्यापक जो सरकार/राष्ट्रीय	—

6M

	(सामान्य)		प्रतिशत		2. प्रयोगशाला सहायक	अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं और क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय के वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।	
3.	वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक विज्ञान	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	**(i)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:–** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री ; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा **(ii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 4 पर के पद के लिए:–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा:– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव– विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान;	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक 3. दृष्टि बाधित विद्यालय/ मूक–बधिर विद्यालय में अध्यापक	**(i)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए:–** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(ii) स्तम्भ संख्यांक 2 मेंक्रम सं. 4 पर के पद के लिए:–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा:– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव– विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या	—

				तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा **(iii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिए** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री ; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।		शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(iii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिएः–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

4.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	–	100 प्रतिशत	–	प्रयोगशाला सहायक	वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या सीनियर सैकण्डरी साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	–
5.	अध्यापक	–	–	–	–	–	वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जायेंगे।
6.	दृष्टि बाधित विद्यालय / मूक–बधिर विद्यालय में अध्यापक	–	–	–	–	–	वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जायेंगे।
7.	प्रयोगशाला सहायक	100 प्रतिशत	–	वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम तीन विषयों के साथ सीनियर सैकण्डरीः सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित।	–	–	12.5 प्रतिशत पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में संवर्ग में अधिष्ठायी रूप से पद धारण करने वाले प्रयोगशाला अनुकर्मियों / कर्मचारियों में से इस

							शर्त के अध्यधीन भरे जायेंगे कि वे इन नियमों के अधीन ऐसी भर्ती के लिए अन्यथा पात्र पाए गये हैं।
समूह खः पुस्तकालय विंग							
1.	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–II	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–III	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–III	100 प्रतिशत	–	सीनियर सैकण्डरी साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा।	–	–	–
समूह गःशारीरिक शिक्षा विंग							
1	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)।	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.), और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 01.04.2013 को विद्यमान शारीरिक शिक्षा अध्यापक जिनके पास शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) है, वे पदोन्नति के पात्र हैं, उनके निःशेष होने के

							पश्चात् केवल वे शारीरिक शिक्षा अध्यापक ही, जिनके पास शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) की अर्हता है, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
2	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	100 प्रतिशत	—	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.)।	—	—	—

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमाकं :– शिविरा/मा/संस्था/एफ–1ए/मेवाड़संगम/वि.वि./2021/ दिनांक 28 JUL 2022

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, संभाग कार्यालय,
समस्त।

विषय : अध्यापक/प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) पद पर पदोन्नति हेतु किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में।

प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.17(15)शिक्षा–2/2022 जयपुर दिनांक 24.03.2022

राजस्थान शिक्षा (राज्य व अधीनस्थ) सेवा नियम– 2021 की अनुसूची–II अधीनस्थ सेवा पद के समूह–कः (अध्यापन विंग) के कॉलम–07 के प्रावधानानुसार अध्यापक/प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) पद हेतु स्तम्भ संख्याक–6 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव व विभिन्न विषय यथा क्रम संख्या 01, 02, 03 और 05 (हिन्दी, अग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा) के पद पर पदोन्नति के लिये वैकल्पिक विषयों के रूप में सम्बन्धित विषय के साथ वि.अ.आ.(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता निर्धारित है।

क्रसं 04 (विज्ञान विषय) पद के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा यथा– भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्यौगिकी और जैव रासायनिक विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता निर्धारित है ।

क्र.स. 06 (सामाजिक विज्ञान) के पद के लिये वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में कम से कम दो विषयों के साथ विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा (इतिहास, भुगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक–प्रशासन और दर्शन–शास्त्र) तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा किया हो, साथ ही स्तम्भ 06 में उल्लेखित पद पर 05 वर्ष का अनुभव वर्णित है, जिसमें स्पष्टतः स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय में एक ही वर्ष अध्ययन करने वाले अथवा ऐच्छिक/वैकल्पिक विषय के रूप मे स्नातक अवधि के सभी वर्षो में सुसंगत विषय का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में कोई **विशिष्टकृत प्रावधान** नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5509/2020 बजरंग लाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 के क्रम में माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.17(15)शिक्षा–2/2022 जयपुर दिनांक 24.03.2022 में "राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ एवं खण्डपीठ द्वारा लगातार दो निर्णय पारित कर अतिरिक्त विषयाधारियों को योग्य नहीं माना हैं। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 26351/2013 (स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार) में भी अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना हैं। इस कारण अतिरिक्त विषयधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल–2 (विषयवार)–2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था।" उक्तानुसार ही कार्यवाही किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अतः अध्यापक/प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) पद पर पदोन्नति हेतु किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24.03.2022(छाया प्रति संलग्न) तथा तत्कालीन निदेशक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5509/2020 बजरंग लाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 के क्रम में प्रस्तुत शपथ–पत्र के परिप्रेक्ष्य में किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जावें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
6. सहायक निदेशक, डीपीसी/वरिष्ठता एवं नियम अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निद्रेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

153

405

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(15) शिक्षा–2/2022 जयपुर, दिनांक : 24/8/2022

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या–5509/2020 बंजरगलाल कुमावत बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.1.22 के क्रम में मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2022 को उनके कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

1. श्री कानाराम, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (ऑनलाईन)
2. श्रीमती नीता विजयवर्गीय, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी–शिक्षा
3. श्री प्रवीण कुमार लेखरा, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग
4. श्री मुकेश कुमार कायथवाल, शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा
5. श्री संजय माथुर, शासन उप सचिव, प्रारम्भिक (आयोजना) शिक्षा

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या–5509/2020 बंजरगलाल कुमावत बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.1.22 तृतीय श्रेणी अध्यापक पद से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित है। याचिका में याचिकार्थी द्वारा यह मांग की गई है वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के समय जिन अध्यापकों के स्नातक के तीनों वर्षो में सम्बन्धित विषय का अध्ययन किया है केवल उनको ही वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति का पात्र माना जावें एवं जिनके द्वारा किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय में एक वर्ष में स्नातक की योग्यता प्राप्त की गई है उनको पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जावें। विषयांकित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 14/01/2022 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है " This Court finds that the prima facie the State is not able to explain or assure this Court that the one year additional Subject graduation in a different subject would make the persons concerned eligible for being promoted to the post of Senior Teacher. However, in the interest of justice, Mr. Hemant Choudhary alongwith Mr. Vishal Jangid learned counsel for the respondent is directed to file an affidavit as to the nature of the qualifications, particularly that of one year graduation in additional Subject, as to what is the stand of State whether such qualifications are in confirmation of the Section-F of Schedule-I of Rajasthan Subordinate Services Rules, 1971 for promotion to the post of Senior Teacher. The affidavit shall keep in consideration that in Job teachers, who have not been granted one years' leave, have completed one year graduation in mathematics and are claiming parity with the regular Mathematics teachers who have not only acquired the qualification in three years, but have pursued regular courses. The affidavit shall also contain the details as to what is the situation in the Statewide promotion provided under the rule for the post of Senior Teacher including the zone in question. The affidavit shall be filed by the Director Secondary Education in the aforesaid directions and terms through counsel Mr. Hemant Choudhary and Mr. Vishal Jangid clarifying the aforesaid situation. The interim order granted by this Court on 16.09.2020 is, accordingly, modified to the extent that the respondents are permitted to open the sealed envelope containing the result of the DPC so convened and concluded, and thereafter, the eligible persons for the post of Senior Teacher in their respective Subjects, if they have three years graduation in the concerned Subject in accordance with Section-F of Schedule-I of Rajasthan Subordinate Services Rules, 1971, shall be granted promotion. It is

1/3

made clear that no candidates, who are in the doubtful zone of consideration i.e. is not having the graduation for the Subject in question passed in three years, shall be given promotion without permission of this Court. If the petitioners are lawfully eligible, they shall also be considered in accordance with their merit and qualifications. The process in question, as directed above, shall remain subject to the final outcome of these writ petitions. The applications (inward No.01/2021, 6/2021 & 7/202) are disposed of with a direction that the applicants shall be permitted to assist this Court in the matter on the next date.

उक्त आदेश अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के संबंध में विभाग द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु नियमों में निम्नानुसार प्रावधान अंकित है:–

1. विभाग ने दिनांक 26.07.21 को नवीन सेवा नियम "राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021" अधिसूचित किये जाकर इनको राजपत्र में दिनांक 3.8.21 में प्रकाशित किया जा चुका है। शासकीय पत्र दिनांक 30.9.21 द्वारा 3.8.21 के बाद वर्ष 2021–22 के लिए आयोजित होने वाली समस्त डीपीसी नवीन सेवा नियमों के आधार पर किये जाने के निर्देशानुरूप आगामी समय में होने वाली डीपीसी में नवीन सेवा नियमों में लागू प्रावधान ही प्रभावी होगें।
2. उक्तानुसार राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 अनुसूची–II (अधीनस्थ सेवा पद) के समूह क अध्यापन विंग में कम संख्या–1 पर वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

वैकल्पिक विषय के रूप में संबधित विषय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा

3. उक्त अनुसार अध्यापक पद से विभिन्न विषयों में वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में स्नातक या समतुल्य परीक्षा में ऐच्छिक/वैकल्पिक विषय के रूप में संबधित विषय को मान्य किया गया है, जिसमें उक्त ऐच्छिक/वैकल्पिक विषय तीन वर्ष की समयावधि अथवा अतिरिक्त विषय के रूप में एक वर्ष में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थीयों की पात्रता के संबध में कोई निर्देश नहीं है।

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती में एक वर्षीय अतिरिक्त योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यायिक प्रकरणों की स्थिति है:–

1. शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) अन्तर्गत अध्यापक लेवल–द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 11/09/2017 में एडिशनल योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, विभाग द्वारा दिनांक 25/01/2018 को अभ्यर्थियों का चयन कर राजय स्तरीय चयन सूची जारी की गई। अध्यापक लेवल–द्वितीय, अंग्रेजी, सामान्य शिक्षा की चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ एवं जो एडिशनल योग्यताधारी नहीं थे, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 19113/2017 धर्मेन्द कुमार भींचर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर कर शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) अन्तर्गत लेवल–द्वितीय अंग्रेजी के पदों पर बी.ए.एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्र किये जाने को चुनौती दी गई।
2. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 19113/2017 में दिनांक 21/08/2018 को निर्णय पारित कर बी.ए.एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अपात्र किया गया।
3. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 21/08/2018 के विरूद्ध माननीय खण्डपीठ में डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 1143/2018 पवन स्वरूप गौड व अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार भीचर व अन्य (अपीलार्थी शिक्षक भर्ती 2016 संशोधित से सम्बन्धित) तथा डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 1144/2018 भीमसिंह व अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार भीचर व अन्य (अपीलार्थी शिक्षक भर्ती 2018 से सम्बन्धित) दायर की गई।
4. माननीय खण्डपीठ द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 1143/2018 व 1144/2018 तथा अन्य कनेक्टेड अपीलों में दिनांक 25/03/2021 को निर्णय पारित कर बी.ए.एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को लेवल–द्वितीय

अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र माना गया है। माननीय खण्डपीठ के निर्णय अनुसार स्नातक के तीनों वर्षो में अंग्रेजी वैकल्पिक विषय उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति के पात्र है।

5. राज्य सरकार द्वारा माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 25/03/2021 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.ए.एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी नियुक्त अभ्यर्थियों के द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका 13802/2021 मुकेश कुमार मीणा व अन्य बनाम धर्मेन्द्र कुमार भंचर व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17/09/2021 में माननीय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 25/03/2021 की क्रियान्विति एवं प्रभाव पर रोक लगाई गई है।

राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा दिनांक 17.12.2021 के पत्र द्वारा अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर आगामी सीधी भर्ती 2021–22 संबधित विषय में अतिरिक्त विषय (एडिशनल) उत्तीर्ण योग्यताधारी अभ्यर्थीयों को उक्त भर्ती में शामिल नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है जबकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व वर्षो में करवाई गई राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) एवं 2018 में अध्यापक लेवल–2 (विषयवार) के पदों पर सीधी भर्ती में अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम से पूर्व की स्नातक की उपाधी उत्तीर्ण है तथा उसके पश्चात वह अभ्यर्थी किसी अन्य अतिरिक्त विषय (एडिशनल) से उत्तीर्ण स्नातक अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विषय के लेवल–द्वितीय के पदों पर भर्ती के लिए पात्र माना गया था एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अतिरिक्त विषय में एक वर्षीय स्नातक योग्यताधारी को पात्र माना गया था।

इस प्रकार अतिरिक्त विषय से एक वर्ष में स्नातक योग्यताधारी की पदोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

बैठक में विधि शाखा की पत्रावली संख्या–प. 18(16) प्राशि/विप्र/2018 पर लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा लगातार दो निर्णय पारित कर अतिरिक्त विषयधारियों को योग्य नहीं माना है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एस.एल.पी. संख्या–26351/2013 स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार में भी अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना है। इस कारण अतिरिक्त विषयधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल–2 (विषयवार)–2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उक्तानुसार ही कार्यवाही किये जाने का सर्वसन्मति से निर्णय लिया गया तथा उपरोक्तानुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विधि प्रकोष्ठ द्वारा की जानी है।

भवदीय

(प्रवीण कुमार लेखरा)
संयुक्त शासन सचिव

शैक्षिक समाचार राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव–स्कूल शिक्षा।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
7. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा।
8. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक (आयोजना) शिक्षा।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)–2022

राजीव गाँधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर–305001

(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान, अजमेर)

विज्ञप्ति सं. – 01/2022 दिनांक : 12.04.2022

Website: http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022

Email ID : bserreet2022@gmail.com

फोन नं. (0145) 2630436, 2630437

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प7(13)/प्रा.शि./आयो/2022/पार्ट दिनांक 01.03.2022 के अनुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) लेवल 1 व लेवल 2 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। यह परीक्षा निर्धारित दिनांक एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा सिर्फ **पात्रता** परीक्षा है। उक्त रीट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया/पात्रता मापदण्ड, ऑन–लाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

कार्यक्रम

वेबसाईट पर ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि	:	**दिनांक 18.04.2022 से दिनांक 18.05.2022 रात्रि 12 बजे तक**
चालान मुद्रित कर निर्धारित बैकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि	:	**दिनांक 18.04.2022 से दिनांक 13.05.2022 तक**
वेबसाईट से प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि	:	**दिनांक 14.07.2022 सांय 4.00 बजे से**

परीक्षा तिथि :	:	**दिनांक 23.07.2022 (शनिवार) एवं दिनांक 24.07.2022 (रविवार)(आवेदको की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24.07.2022 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है)**
परीक्षा प्रारम्भ होने का समय : प्रथम पारी	:	**प्रातः 10.00 बजे से 12.30 बजे तक**
: द्वितीय पारी	:	**अपरान्ह 3.00 बजे से सांय 05.30 बजे तक**

नोटः– अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। परीक्षा केन्द्र पर विभिन्न प्रकार की जॉचों में समय लगेगा । जाँच पश्चात् ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

इस परीक्षा के स्तर प्रथम एवं द्वितीय का पाठ्यक्रम, बैंक विवरण एवं महत्वपूर्ण निर्देश वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 पर उपलब्ध रहेगी।

लेवल–1 व लेवल 2 की दिनांक एवं पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी।

1. **सामान्य सूचना :–** कार्यालय : राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2022) का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के कार्यालय : राजीव गांधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर द्वारा किया जाएगा।

2. **ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया :–** राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET- 2022) के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑन–लाइन वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 पर भरे जायेंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरें। ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया व प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। ऑन–लाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा। वर्ष 2021 की रीट लेवल–2 के आवेदको से शुल्क नहीं लिया जाएगा, इन आवेदकों के पूर्व आवेदन की कतिपय विशिष्ट प्रविष्ठियों के सत्यापन के आधार पर ऐसे आवेदको को आवेदन भरना अनुमत होगा। समस्त नवीन अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर (Level), मोबाईल नम्बर अंकित कर सम्बन्धित बैंक/ऑन–लाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। तत्पश्चात बैंक से शुल्क का सत्यापन (Verification) होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा। शुल्क का सत्यापन वेबसाईट पर चालान नम्बर अंकित कर जाना जा सकेगा।

परीक्षा शुल्क :–

आवेदन शुल्क REET- 2021 के अनुसार ही रहेगा तथा REET लेवल–2 के वर्ष 2021 के आवेदकों से कोई नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिग/ई–मित्र से जमा करा सकेंगेः–

- स्तर प्रथम – : रूपये 550/–
- स्तर द्वितीय (REET-2021 के आवेदक) – : कोई शुल्क नहीं
- स्तर द्वितीय (REET-2021 के आवेदकों को छोडकर) – : रूपये 550/–
- दोनों स्तर के आवेदक हेतु –स्तर प्रथम (नवीन आवेदन) एवं स्तर द्वितीय(नवीन आवेदन)दोनों परीक्षाऐ रूपये 750/–
  (प्रत्येक लेवल/स्तर हेतु पृथक पृथक शैक्षणिक योग्यताऐं होना अनिवार्य है)
- दोनों स्तर हेतु – स्तर प्रथम (पूर्व/नवीन आवेदन) एवं स्तर द्वितीय (पूर्व आवेदन) (दोनों परीक्षाऐं) – : रूपये 200/–

विशेष ज्ञातव्य :– 1. प्रत्येक लेवल/स्तर हेतु वांछित क्रमशः शैक्षणिक योग्यताएं अनिवार्य हैं।

नोटः–

I. अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वह इस विज्ञप्ति के अनु.–3 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। आवेदक के पास लेवल–1 एवं लेवल–2 दोनों की वांछित शैक्षणिक योग्यताएं होना आवश्यक है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराया जाता है तो शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

II. ऑन–लाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक, आवेदन–पत्र का प्रारूप वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 से डाउनलोड कर लें और उसे ऑन–लाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने **कक्षा–10 उत्तीर्ण** प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। आवेदक अपना ऑन–लाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व अन्तिम रूप से सबमिट (Final Submission) करने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जाँच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। प्रविष्टियों के सही होने के सम्बन्ध में साइबर–कैफे, कियोस्क , कंप्यूटर एजेन्सी या कम्प्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहें अर्थात स्वयं भली–भांति सत्यापन कर लें।

III. REET 2021 के लेवल–2 में सम्मिलित हुए आवेदकों को REET 2022 का आवेदन भरते समय सर्वप्रथम रीट 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन मे से एक चुनना होगा। वर्ष 2021 के पुराने आवेदन का चयन कर अभ्यर्थी अपने वर्ष 2021 के आवेदन का क्रमांक, रोल नम्बर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पर नया आवेदन खुल जायेगा, जिसमें वर्ष 2021 में आवेदक द्वारा भरे गये नाम, पिता/पति, लिंग, वैवाहिक स्थिति एवं जन्म दिनांक (जिनमें संशोधन संभव नहीं होगा) के अतिरिक्त समस्त सूचनाऐं आवेदक द्वारा भरी जा सकेगी।

IV. REET 2021 के दोनों लेवल (लेवल–1 एवं लेवल–2) तथा रीट 2021 के सिर्फ लेवल–2 के आवेदकों को रीट 2022 के दोनो स्तर का आवेदन भरते समय (निर्धारित योग्यता दोनो स्तर की होने पर) सर्वप्रथम 2021 का पुराना आवेदन या नवीन आवेदन का चयन के बाद अपना रीट वर्ष 2021 के आवेदन एवं स्तर, क्रमांक, रोल नम्बर एवं जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने पर ; ऐसे अभ्यर्थी होने पर रू. 200/– शुल्क का चालान जनरेट होगा, जिसे जमा कराने पर वर्ष 2021 में आवेदक द्वारा भरे गये नाम, पिता/पति, लिंग, वैवाहिक स्थिति एवं जन्म दिनांक (जिनमें संशोधन संभव नहीं होगा) के अतिरिक्त समस्त सूचनाऐं आवेदक द्वारा भरी जा सकेंगी।

V. **अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात्, परीक्षा आवेदन–पत्र अन्तिम संप्रेषण (Final Submission) के पूर्व परीक्षार्थी को डाटा में ऑन–लाइन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात् सिर्फ विधवा होने की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

VI. **अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है, नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक,पति का नाम, जाति, श्रेणी में कोई संशोधन है तो सही कर लेवें। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा।**

VII. **पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन की भली–भांति जांच कर लेवें कि इसमें रही त्रुटि/त्रुटियों में संशोधन कर ले अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं।**

VIII. आवेदन पत्र में अपलोड किये जाने वाला पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव लगाया गया है, तो परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। **आवेदन में 10वीं की अंकतालिका अपलोड करनी होगी।**

IX. यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाईट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेवें, अन्यथा दो या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त **फार्म निरस्त किये जा सकते है।**

3. REET- 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :–

*निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 (सपठित 29 जुलाई 2011) एवं समय–समय पर जारी एवं वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 1853/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 में दिए गये निर्देशों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार **"राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2022"** में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :–*

3.1 कक्षा 1 से 5 (स्तर–प्रथम) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :–

A. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

अथवा

B. *न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulation, 2002.

अथवा

C. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).

अथवा

D. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Education (Special Educaton).

अथवा

E. *स्नातक एवं प्रारम्भिक शिक्षा में* ***द्विवर्षीय डिप्लोमा*** *(चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो) उत्तीर्ण।*

Graduation and ***two year Diploma*** *in Elementary Education* (by *whatever name known) passed.*

स्पष्टीकरण :– *उपरोक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A, B,C व E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु D विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।*

नोटः– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक 96186–218 दिनांक 06.01.2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त डी.एल.एड. (ODL) पाठयक्रम को सामान्य डी.एल.एड.के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगें।

3.2 कक्षा 6 से 8 (स्तर–द्वितीय) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं :–

A. ***स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत हो।***

Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) passed or appearing in final year of this course.

अथवा

B. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बी.एड. उत्तीर्ण या बी.एड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत्।*

At least 50% marks either in Graduation or post Graduation and B.Ed. passed or appearing in final year of Bachelor in Education (B.Ed).

अथवा

C. *न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) में उत्तीर्ण, जो इस संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।*

Graduation with at least 45% marks and 1-year B.Ed. passed, in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.

अथवा

D. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed).

अथवा

E. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.बीएड. या बी.ए. बी. एड./बी.एससी.बीएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।*

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year B.A. /B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.U

अथवा

F. *न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण या बी.एड. (विशेष शिक्षा) के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत्।*

Graduation or post Graduation with at least 50% marks and B.Ed. (Special Education) passed or appearing in final year of B.Ed (Special Education

नोटः–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना फा.सं.राअशिप–रेगु./012/22/2019–अ.स.(विनियम) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 द्वारा किए गए संशोधन ''कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी.एड.'' में अग्रांकित परन्तुक जोड़ा गया है–''लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई, 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।''

Note:- Amendment by NCTE Notification No.F.No. NCTE-Reg/012/22/2019-US(Regulation)-HQ. Dated 13th November, 2019 "At least 50% marks either in Graduation or in Post-Graduation and B.Ed." the following Proviso inserted-"Provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course prior to the 29th July, 2011."

स्पष्टीकरण :– *उपरोक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A से E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु F विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।*

3.3 ***(a) अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमः–***

इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता–प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता–प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी।

(b) किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :–

जो व्यक्ति NCTE/RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं NCTE द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 (सपठित अधिसूचना दिनांक 29.7.2011) एवं समय–समय पर जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो REET-2022 में बैठने के पात्र हैं, किन्तु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिये तभी पात्र होंगे, जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एव योग्यताएं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताऐं एवं REET-2022 न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत सहित उत्तीर्ण कर लिया हो।

(c) राजस्थान सरकार के पत्रांक प.7(13) प्रा.शि./आयो./2019 जयपुर, दिनांक 20.12.2021 में प्रदत्त निर्देशानुसार आवेदन करने हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी भी पात्र होगेः–

1. *स्नातक / उ.मा.वि. स्तर पर अंको के न्यून्तम प्रतिशत की शर्त उन पदाधारियों के मामलो में लागू नहीं होगी, जिन्होने शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29.जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था ।*
2. *ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उनके स्नातक/उमावि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।*
3. *अध्यापक लेवल – प्रथम के लिए उमावि तथा अध्यापक लेवल – द्वितीय हेतु स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत की उक्त दोनो शर्त प्रभावी रहेगी।*

(d) NCTE की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार *:– भाषा अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदण्ड लागू होंगे।*

नोटः– *प्रत्येक स्तर के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/MBC/EWS/विशेष योग्यजन/विधवा/तलाकशुदा महिला/सहरिया अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।*

4. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2022) की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content of REET- 2022)

परीक्षा पाठ्यक्रम (विस्तृत पाठ्यक्रम कार्यालय की वेबसाईट पर देखें)

4.1 स्तर प्रथम – (कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक) अधिकतम अंक : 150, समय 2.30 घण्टा

स्तर प्रथम में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :–

खण्ड– I बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II भाषा–I – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(**भाषा–I का चयन** आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम 'Medium of Instruction' की भाषा है। जिसका चयन ऑन–लाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– III भाषा–II – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑन–लाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह **भाषा – I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी।**)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV गणित ————————————————	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– V पर्यावरण अध्ययन ————————————	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक

नोट :– किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा–। व ।। के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किये हैं तो उसे मान्य नहीं माना जावेगा तथा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

4.1.1. प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है।

3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किन्तु यह भाषा–I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित" तथा "पर्यावरण अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा I से V तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021–22 के पूर्ण पाठ्यक्रम एवं विषय–वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सैकण्डरी (कक्षा 10) तक का होगा।
6. प्रश्न–पत्र का भाषा माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

4.2. **स्तर द्वितीय – (कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक) अधिकतम अंक : 150 समय 2.30 घण्टा**

स्तर द्वितीय में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :–

खण्ड– I बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II भाषा–I – हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिन्धी / पंजाबी / गुजराती *(भाषा–I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम 'Medium of Instruction' की भाषा है। जिसका चयन ऑन–लाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– III भाषा–II – हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिन्धी / पंजाबी / गुजराती *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह **भाषा – I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न** होगी।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV (अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु–IV(अ) गणित एवं विज्ञान विषय	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक
या		
(ब) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु – IV(ब) सामाजिक अध्ययन विषय	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक
या		
(स) अन्य विषय के शिक्षक हेतु – IV (अ) अथवा IV(ब) में से कोई एक	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक

नोट :– किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा–। व ।। के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किये हैं तो उसे मान्य नहीं माना जावेगा तथा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

4.2.1. प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन पत्र भरते समय अंकित भाषा जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है, जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है। किन्तु यह भाषा–I के रूप में चयनित भाषा से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित एवं विज्ञान" तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. कक्षा 6 से 8 तक के "गणित एवं विज्ञान" विषय में समान अनुपात में 60 प्रश्न (30 प्रश्न गणित विषय के एवं 30 प्रश्न विज्ञान विषय के) तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय में 60 प्रश्न उक्त विषय के पाठ्यक्रमानुसार पूछे जायेंगे।
6. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा VI से VIII तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021–22 पूर्ण पाठ्यक्रम एवं विषय–वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सैकण्डरी (कक्षा 12) तक का होगा।
7. प्रश्न–पत्र की भाषा का माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

5. परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन :–

I. **परीक्षा की दिनांक :** 23 व 24 जुलाई 2022 तथा परीक्षार्थियों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धतानुसार परीक्षा तिथियाँ उपरोक्त के साथ दिनांक 25 जुलाई 2022 एवं इसके पश्चात भी जारी रह सकती है।

समय : प्रथम पारी परीक्षा – प्रातः 10.00 बजे से 12.30 बजे तक

द्वितीय पारी परीक्षा – अपरान्ह 3.00 बजे से सांय 5.30 बजे तक

<u>नोटः–</u> ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को सम्बंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा प्रवेश पत्र :– REET कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस बाबत सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना ई–मेल अथवा मोबाइल नम्बर पर संदेश (SMS) से भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, इस हेतु **आवेदन पत्र तथा चालान की प्रति** सुरक्षित रखें। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे।

II. **सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घंटे पूर्व पहुँचना वांछनीय है।**

III. ***परीक्षा में श्रुतलेखक के संबंध में आवश्यक विस्तृत दिशा–निर्देश रीट की वेबसाईट पर देखें।***

IV. **प्रश्न पत्र व्यवस्थाः–**

(a) प्रश्न पत्र पुस्तिका (Question paper booklet) प्राप्त कर भली भांति अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं हैं तथा प्रश्नों के क्रमांक सही क्रम में हैं। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण Question paper Booklet को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें।

(b) प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple choice) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A, B, C, व D के रूप में होंगे, जिनमें से एक ही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।

(c) प्रश्न पत्र पुस्तिका में 150 प्रश्न होंगे। खण्ड वार प्रश्नों की संख्या अनु. 4 के अनुसार होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है।

(d) स्तर प्रथम की प्रश्न पत्र पुस्तिका अनु. 4.1 के अनुसार **पाँच खण्डों** – I, II, III, IV, V में विभाजित है तथा सभी खण्ड हल करना अनिवार्य है। खण्ड–II व III में भाषा का चयन अनु. 4.1 के अनुसार किया जाए और यह आवेदन पत्र में अंकित अनुरूप होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। इसमें त्रुटि होने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(e) स्तर द्वितीय की प्रश्न पत्र पुस्तिका अनु. 4.2 के अनुसार **चार खण्डों** में विभाजित हैं जिसमें I, II, III, अनिवार्य हैं। इस प्रश्न–पत्र के खण्ड II व III में भाषा का चयन अनु. 4.2 के अनुसार किया जाए और यह आवेदन पत्र में अंकित अनुसार होना चाहिए। खण्ड IV में अनु. 4.2 के अनुसार (अ), (ब) व (स) के अनुसार चयन करना है जो आवेदन पत्र में अंकित अनुरूप होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। इसमें त्रुटि होने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगें।

V. **उत्तर पत्रक (OMR sheet) व्यवस्थाः–**

(a) परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर OMR शीट में प्रश्नों के सही विकल्प के रूप में अंकित करने होंगे। OMR शीट प्राप्त कर यह सुनिश्चित करलें कि वह स्पष्ट रूप में मुद्रित है और उसका क्रमांक भी स्पष्ट मुद्रित है। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण OMR शीट परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें, इसके पश्चात कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।

(b) **ओ.एम.आर. शीट्स (उत्तर पत्रक) की प्रतियों की व्यवस्था** :– OMR शीट (उत्तर पत्रक) प्रतियों में होंगी जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होंगी। इसमें ऊपर वाली प्रति पर ''Original Copy'' तथा इसके नीचे वाली एक प्रति पर ''Candidate's Copy'' मुद्रित होगा। इन प्रतियों के बीच यद्यपि कोई कार्बन पेपर नहीं होगा, किन्तु इनके बीच रासायनिक पदार्थ होने के कारण अभ्यर्थी मूल प्रति में जो कुछ भी अंकित करेगा, वह उसके नीचे प्रति (Candidate Copy) में भी स्वतः अंकित हो जाएगा। परीक्षा समाप्ति उपरान्त दोनों प्रतियों को वीक्षक (Invigilator) की निगरानी में छिद्रित रेखा से मोड़कर अलग किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रति को अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा और मूल प्रति (Original Copy) वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करनी है।

विशेष सावधानी :– अभ्यर्थी उत्तर देते समय ओ.एम.आर.शीट की मूल प्रति तथा अभ्यर्थी प्रति को अलग–अलग करने की कोशिश नहीं करें। ओ.एम.आर. शीट वीक्षक को सुपुर्द करना आवश्यक है, यदि परीक्षार्थी गलती से / जानबूझकर ओ.एम.आर. शीट की मूल प्रति (Original copy) अपने साथ ले जाता है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।

(c) **स्तर प्रथम** परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र **पांच खण्डों** में विभक्त होगा, इसके प्रत्येक खण्ड में 30 प्रश्न (कुल 150 प्रश्न) होंगे। जबकि **स्तर द्वितीय** परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र **चार खण्डों** में ही विभक्त होगा, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। दोनों स्तर की परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रथम खण्ड में 30 प्रश्न होंगे, जो अनिवार्य रूप से करने हैं। द्वितीय व तृतीय खण्ड में भाषा के वैकल्पिक खण्ड होंगे जिसमें 30–30 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी भाषा के खण्ड का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे उसी भाषा के प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करें, जिस भाषा को उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय अंकित किया है। स्तर प्रथम में चौथे व पॉचवें खण्ड के 30–30 प्रश्न अनिवार्य हैं।

(d) स्तर द्वितीय परीक्षा के प्रश्न पत्र में चतुर्थ खण्ड जो कि वैकल्पिक खण्ड है, में खण्ड IV (अ) गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए है जबकि खण्ड IV (ब) सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षकों के लिए है। इन विषयों के अलावा अन्य विषय के शिक्षक इन दोनों खण्डों IV (अ) व IV (ब) में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इस खण्ड में 60 प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षार्थी उसी खण्ड का चयन करें, जिसका आवेदन पत्र भरते समय उल्लेख किया है।

(e) स्तर प्रथम व स्तर द्वितीय परीक्षा में आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प तथा स्तर द्वितीय परीक्षा में खण्ड (IV) के विकल्प से अलग खण्ड को हल करने पर, खण्ड के हल किए गए उत्तरों को गलत माना जाएगा और परीक्षा उपरान्त इनमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा।

(f) परीक्षार्थी सम्बन्धित प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को **नीले/काले बाल पेन** से ही सावधानी पूर्वक पूरा गहरा करें। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को गहरा करें। एक से अधिक गोले, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले को गहरा करने पर उत्तर गलत माना जाएगा।

(g) OMR शीट पर कहीं भी किसी भी प्रकार का रफ कार्य तथा कोई चिन्ह अंकित नहीं करें।

(h) *REET-2022 प्रमाण पत्र की वैधता :–* राजस्थान सरकार के प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना विभाग) के पत्रांक प. 7(13)प्राशि/आयो/2022पार्ट दिनांक 16.03.2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता *आजीवन कर दी गई है।*

(i) REET-2022 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को REET कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। REET परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती/रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह किसी भी भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड/पात्रता मात्र है।

महत्वपूर्ण सूचना

- **परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न–पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/– (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।**
- **इस अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से** http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 **वेबसाईट पर अपलोड की गई है।**

6. REET-2022 के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक :–

i. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(13)प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 के अनुसार अग्रांकित श्रेणियों हेतु न्यूनतम पात्रता अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है:–

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत	
		Non TSP	**TSP**
1.	सामान्य/अनारक्षित	60	60
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	55	36
3.	अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	55	
4.	समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक	50	
5.	दिव्यांग (निःशक्तजन) श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति	40	
6.	सहरिया जनजाति के व्यक्ति	36 (सहरिया क्षेत्र)	

ii. राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) निर्धारित किए गए हैं।

7. अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

1. परीक्षार्थी को सम्पर्क हेतु स्वयं का मोबाईल नम्बर तथा E-Mail ID देना आवश्यक है।
2. ओ.एम.आर. शीट (उत्तर पत्रक) की Re-checking, Re-assessment or Scrutiny का प्रावधान **नहीं** है। इस संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को नीला/काला बॉल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र एवं एक मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड जो आपने आवेदन के साथ अपलोड किया था) के साथ ही प्रवेशाज्ञा दी जावेगी।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आवश्यकतानुसार बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन व प्रचलित निर्देशों के अनुरूप पैट फिस्किंग की जायेगी।
5. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रोनिक डिवाईस यथा मोबाइल फोन, केलक्युलेटर, ब्लूटूथ, आभूषण इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी।
7. आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदानुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।
8. परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व प्रश्न मय उत्तर REET वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। तत्पश्चात परीक्षार्थी निर्धारित समय में अपनी आपत्ति रू. 300/– शुल्क (पूर्वानुसार) के साथ http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 पर दिए गए लिंक के माध्यम से REET कार्यालय को भेज सकता है। उसके पश्चात किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। लिंक पर प्राप्त आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा । अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन ही आपत्ति दर्ज करें।
10. परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न–पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी । परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाईजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है।

11. आवेदकों द्वारा ऑन–लाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी । उक्त परीक्षा में बैठने से पूर्व योग्यता दस्तावेज नहीं चाहे गये हैं तद्नुसार परीक्षा में बैठने की प्रदत्त अनुमति से अभ्यर्थी को योग्यता अर्जित नहीं होगी, इसका निर्धारण सक्षम स्तर पर भर्ती के समय प्रस्तुत किये दस्तावेज के आधार पर ही विनिश्चित होगा।

12. केन्द्रीय या किसी राज्य की TET अथवा राजस्थान की RTET/REET परीक्षा से वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है तो वे इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे वंचित अभ्यर्थी आवेदन पश्चात सफल हो जाते हैं तब भी परीक्षा परिणाम निरस्त किया जायेगा।

    आवेदन में गलत घोषणा पाई जाने पर डिबार (Debar) करने की कार्यवाही की जा सकती है।

13. सभी अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे समय समय पर रीट की वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 का अवलोकन कर जारी की जाने वाली अद्यतन सूचनाओं से अवगत रहें ।

8. कानूनी विवादों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :–

1. सभी विवादों के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र केवल अजमेर होगा।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की अधिकारिता केवल समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजीव गाँधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स अजमेर – 305001 (राज.) की है।
3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अग्रांकित प्रारूपों में घोषणा (A) तथा घोषणा (B) की पूर्ति की जाकर तत्संबंधी सहमति प्रदान की जाएगी।

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र (A) का प्रारूप

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैंने REET परीक्षा 2022 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित REET परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
4. किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
5. *मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 (सपठित 29 जुलाई, 2011) एवं समय–समय पर संशोधित एवं वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार परीक्षा की योग्यता रखता/रखती हूँ।*
6. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पात्रता नहीं रखने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
7. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 से डाउनलोड करूंगा/करूंगी।
8. मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/ दूँगी।
9. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
10. मुझे यह जानकारी है कि मैं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व तक REET 2022 एवं सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स (डी.एल.एड./बी.एड./समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण कर लेने पर ही राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होऊँगा/होऊँगी।
11. मैं इस तथ्य से भली–भॉति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी तथा मैं आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों में अंतिम संशोधन के अवसर पश्चात् कोई संशोधन नहीं करवा सकूँगा/सकूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :.....

नाम :

दिनांक :.....

पता :

फोन नम्बर मय कोड :.....

मोबाईल नम्बर :.....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र (B) का प्रारूप

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....उम्र..... जाति/वर्ग .....निवासी..... व्यवसाय..... घोषणा करता/करती हूँ कि–

1. मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 (सपठित 29 जुलाई 2011) एवं समय–समय पर संशोधित एव वैधानिक रूप से प्रभावी व विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं परीक्षा देने की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता की पात्रता रखता/रखती हूँ।
2. ***मैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)-2022 में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वैधानिक रूप से प्रभावी योग्यताएं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे गए आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या घोषणा पत्र में कोई असत्य बयान किया गया है, तो परीक्षा उपरान्त मिलने वाला पात्रता प्रमाण–पत्र स्वतः ही रद्द समझा जाएगा तथा मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।***
3. मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
4. मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
5. *मैं इस तथ्य से भली–भाँति अवगत हूँ कि परीक्षा REET–2022 सिर्फ पात्रता परीक्षा है तथा इस परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक अर्जित करने पर मात्र पात्रता अर्जित होती है।*
6. मुझे पूर्व में कभी भी केन्द्रीय या किसी राज्य की TET या राजस्थान की TET/REET परीक्षा में वंचित (Debar) नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

स्थान :..... *अभ्यर्थी का नाम : .....*

दिनांक :.....

स्व सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....उम्र..... जाति/वर्ग .... निवासी..... व्यवसाय..... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त घोषणा–पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर

स्थान : ..... *अभ्यर्थी का नाम : .....*

दिनांक : ..... मोबाईल नम्बर : .....

अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देशों हेतु Website एवं ई–मेल की सुविधा –

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य, कार्यालय **समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) – 2022** पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क अथवा ई–मेल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम एवं विस्तृत जानकारी REET की Website : http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी लिंक reetraj2022 पर उपलब्ध होगी।

समन्वयक, REET-2022

———————